[ 2020 ] 11 एस. सी. आर 281

सौरभ यादव और ओआरएस।

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

( 2019 का विविध अनुप्रयोग No.2641)

में।

( 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23223) 18 दिसंबर, 2020

[ उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

सेवा कानून-चयन-आरक्षण क्षैतिज

आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण-उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए 2013 में दो उम्मीदवारों, एक ओ. बी. सी.-महिला श्रेणी से संबंधित और दूसरा एस. सी. महिला श्रेणी से संबंधित ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया-उन्होंने क्रमशः 276.5949 और 233.1908 अंक प्राप्त किए थे-महिला (सामान्य श्रेणी) की कट-ऑफ 274.8928 थी-दोनों ने सामान्य महिला श्रेणी में चयन का दावा किया था-उनके दावे को राज्य द्वारा खारिज कर दिया गया था-राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16.03.2016 के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि "यदि ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित विशेष श्रेणी के उम्मीदवार ने उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

उसके समकक्ष को खुली श्रेणी में समायोजित किया गया है, इसे खुली श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है "इसी तरह का विचार मध्य प्रदेश द्वारा अपनाया गया था। प्रदेश उच्च न्यायालय (इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को 'दूसरा दृष्टिकोण' कहा जा सकता है)-हालांकि, राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों (जिसे पहला दृष्टिकोण कहा जाता है) ने यह विचार अपनाया है कि "निर्धारित आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर' या 'क्षैतिज' हो सकता है यदि यह खुली श्रेणी से संबंधित है, तो पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार को इस श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता है।

बाकी उम्मीदवारों के साथ अपनी योग्यता के आधार पर उक्त पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करना "-आयोजितः 'दूसरा दृष्टिकोण' न तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी आधिकारिक घोषणा पर आधारित है और न ही यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है-किसी भी अनुमेय आरक्षण यानी सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) या विशेष (क्षैतिज) के अधीन, सार्वजनिक रोजगार के अवसर और उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित होना चाहिए-कोई भी चयन जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों का चयन खुली/सामान्य श्रेणी के खिलाफ किया जाता है।

अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों की तुलना में कम योग्यता वाले उम्मीदवार निश्चित रूप से समानता के सिद्धांतों के खिलाफ होंगे-जब आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों या कोटे के खिलाफ उम्मीदवारों पर विचार करने की बात आती है तो विशेष व्यवस्था हो सकती है और सिद्धांत रूप में यह संभव है कि

मुक्त/सामान्य श्रेणी से आने वाले अधिक मेधावी उम्मीदवार

हो सकता है कि चयन न किया जाए-लेकिन, विपरीत कभी भी सच नहीं हो सकता है और उन बुनियादी सिद्धांतों का विरोध करेगा जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमेशा स्वीकार किया गया है-कोई भी दृष्टिकोण या व्याख्या की प्रक्रिया जो विसंगति की ओर ले जाती है, उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए-'दूसरा दृष्टिकोण' तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाएगा-इसलिए, 'दूसरा दृष्टिकोण' अस्वीकृत और अस्वीकार कर दिया जाता है-पहला दृष्टिकोण 'जो राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों के साथ वजन किया जाता है वह सही और तर्कसंगत है-तत्काल मामले में,' ओ. बी. सी. महिला श्रेणी 'से आने वाले सभी उम्मीदवार जिन्होंने 274.8929 से अधिक अंक प्राप्त किए थे, यानी अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक। 'सामान्य श्रेणी महिला' में नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में रोजगार की पेशकश की जानी चाहिए-चूंकि, यह स्वीकार किया गया है कि 'अनुसूचित जाति महिला श्रेणी' से आने वाले किसी भी उम्मीदवार ने 274.8298 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे, आवेदक संख्या। 2 और सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाता है-भारत का संविधान आरक्षण।

भारत का संविधान-आरक्षण-क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण-आयोजितः आरक्षण, दोनों ऊर्ध्वाधर और

क्षैतिज, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है-इन्हें कठोर "स्थान" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाए जाने का हकदार बनाती है, को बंद कर दिया जाता है-ऐसा करने से, एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा हो जाएगी।

यह योग्यता है, चाहे किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो या नहीं। भारत का संविधान-आरक्षण-क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बीच अंतर-पर चर्चा की गई।

आंशिक रूप से विविध आवेदन संख्या 2641 और एस. ए. यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. की अनुमति।

I.A.No। 2019 का 25611 और डब्ल्यू. पी. को खारिज करना। (ग) 2020 का सं. 237, न्यायालय

पकड़नाः उदय उमेश ललित, जे. [अपने लिए, एस. रवींद्र भाट और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

1. दूसरा दृष्टिकोण (इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण) न तो किसी आधिकारिक पर आधारित है। इस न्यायालय द्वारा घोषणा न ही ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहाँ योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी अनुमेय के अधीन

आरक्षण अर्थात सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) या विशेष (क्षैतिज), सार्वजनिक रोजगार के अवसर और उम्मीदवारों का चयन

विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित होना चाहिए। कोई भी चयन जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों की तुलना में कम योग्यता के साथ मुक्त/सामान्य श्रेणी के लिए चुने जाते हैं, निश्चित रूप से समानता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। विशेष हो सकता है जब आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों या कोटे के खिलाफ उम्मीदवारों पर विचार करने की बात आती है और सिद्धांत रूप में यह संभव है कि मुक्त/सामान्य श्रेणी से आने वाले अधिक मेधावी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाए। लेकिन इसके विपरीत कभी भी सच नहीं हो सकता है और यह उन बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ होगा जिन्हें इस न्यायालय ने हमेशा स्वीकार किया है। व्याख्या का कोई भी दृष्टिकोण या प्रक्रिया जो असंगति का कारण बने, उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। [ पैरा 31] [333-डी-जी]

2. इस प्रकार दूसरा दृष्टिकोण न केवल तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाएगा जहां अधिक मेधावी उम्मीदवार संभवतः प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, इसका परिणाम होगा

इस अभिधारणा की स्वीकृति कि खुली/सामान्य सीटें ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों से आने वाले उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय के फैसलों की लंबी कतार का पूरी तरह से विरोध करेगा। [ पैरा 32] [333-जी-एच]

3. इसलिए, यह न्यायालय दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है और इसे अस्वीकार करता है। पहला दृष्टिकोण जो उच्च न्यायालयों के साथ था

राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड और गुजरात के मामले सही और तर्कसंगत हैं। [ पैरा 33] [334-ए]

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांकित 16.03.2016 बिल्कुल सही थे। एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य की ओर से लिए गए रुख को अस्वीकार करने में पूरी तरह से गलती की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की अस्वीकृति के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश में निर्दिष्ट भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया ने चरण 4.1 में कहा था कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य से संबंधित नहीं है। सामान्य श्रेणी के विरुद्ध केवल पिछड़े वर्ग श्रेणी पर विचार किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया और विशेष रूप से चरण 4 गलत था लेकिन शायद उच्च न्यायालय द्वारा पहले जारी घोषणा द्वारा निर्देशित किया गया था। दूसरी ओर, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता द्वारा लिया गया रुख जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा चारुशिला बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1519 में दर्ज किया गया था, सही था। [ पैरा 34] [334-ए-डी]

उम्मीदवार अन्यथा 'मुक्त/सामान्य श्रेणी' में नियुक्त होने के हकदार और पात्र हैं और उन्होंने कोई विशेष लाभ नहीं लिया है या उसका लाभ नहीं उठाया है जो उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है। 'खुली/सामान्य श्रेणी' सीट के खिलाफ माना जाता है। इसलिए, वर्तमान मामले में पूरी चर्चा और विश्लेषण उक्त दृष्टिकोण से है। [ पैरा 35] [334-डी-ई]

6. अंत में, इस न्यायालय को यह कहना चाहिए कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई [2018 के आर/विशेष सिविल आवेदन <आईडी2] में 2019 के आर/एलपीए <आईडी1] में अपने फैसले के पैरा 56 में बताए गए कदम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षणों पर विचार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सही और उचित प्रक्रिया पर विचार करते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कदम ऐसी हर संभावना का ध्यान रखेंगे। यह सच है कि एक प्रक्रिया निर्धारित करने का अभ्यास अनिवार्य रूप से संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन यह न्यायालय यह निरीक्षण कर सकता है कि उक्त निर्णय में निर्धारित एक निश्चित रूप से सभी दावों को पूरा करेगा और किसी भी विसंगति का कारण नहीं बनेगा। [ पैरा 36] [334-ई-एच]

7. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अपीलार्थी संख्या 1 और इसी तरह से स्थित उम्मीदवारों ने उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे।

'मुक्त/सामान्य श्रेणी' में चयनित अंतिम उम्मीदवारों को उक्त चयन को रद्द करने और निर्देशित करने के लिए तार्किक परिणाम होना चाहिए।

अधिकारियों को हमारे द्वारा किए गए निष्कर्षों के आलोक में अभ्यास डी नोवो करने के लिए। लेकिन इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि

चयनित उम्मीदवारों ने वास्तव में प्रशिक्षण लिया है और वर्तमान में रोजगार में हैं और पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं, यह न्यायालय राहत और निर्देश को निम्नानुसार ढालता हैः - क) 'ओ. बी. सी. महिला श्रेणी' से आने वाले सभी उम्मीदवार जिन्होंने 274.8929 से अधिक अंक प्राप्त किए थे, यानी 'सामान्य श्रेणी महिला' में नियुक्त अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में रोजगार की पेशकश की जानी चाहिए। ख) इस संबंध में उपयुक्त पत्र चार सप्ताह के भीतर संबंधित उम्मीदवारों को भेजे जाएंगे। (ग) यदि संबंधित उम्मीदवार अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं और रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, इस संबंध में संबंधित उम्मीदवारों द्वारा दो सप्ताह के भीतर संचार भेजा जाएगा। घ) ऐसी स्वीकृति की प्राप्ति पर, कोडल और अन्य औपचारिकताओं को तीन सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ङ) इसके बाद एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और संबंधित उम्मीदवार सौरव यादव और ओआरएस होंगे।

उचित पोस्टिंग दी गई। च) वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और अन्य मुद्दों सहित सभी उद्देश्यों के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के रोजगार की गणना नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से की जाएगी। छ) राज्य सरकार द्वारा ऊपर पैराग्राफ 5 और 8 में निर्दिष्ट अपने हलफनामों में बताए गए अनुसार सामान्य श्रेणी की महिलाओं की नौकरी केवल इस फैसले के कारण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। चूंकि यह स्वीकार किया गया है कि 'अनुसूचित जाति महिला श्रेणी' से आने वाले किसी भी उम्मीदवार ने इससे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे

274.8298 , आवेदक सं। 2 और सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाता है। [ पैरा 37,38] [335-ए-एफ]

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. ऊर्ध्वाधर आरक्षण की विशेषताएं इस प्रकार हैं: ( i) उन्हें खुली श्रेणी, या अन्य उम्मीदवारों की श्रेणियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है।

निर्दिष्ट उम्मीदवारों की तुलना में और केवल संबंधित सामाजिक श्रेणी (एससी/एसटी/ओ. बी. सी.) के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना है; (ii) मेधावी प्रदर्शन के आधार पर आरक्षित (निर्दिष्ट श्रेणी) से अनारक्षित (खुली श्रेणी) स्लॉट में गतिशीलता ('माइग्रेशन') संभव है; (iii) आरक्षित से खुली श्रेणी में माइग्रेशन के मामले में, आरक्षित श्रेणी में रिक्ति को उसी निर्दिष्ट श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए, जो रैंक में कम हो, (iv) यदि रिक्तियों को उम्मीदवारों की कमी के कारण निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है, तो रिक्तियों को भरा जाना है।

' इसे आगे बढ़ाया जाता है या नियमों द्वारा उचित तरीके से निपटा जाता है। [ पैरा 9] [341 एफ-एच; 342-ए]

2. दूसरी ओर क्षैतिज आरक्षण, अपने स्वभाव से, अनुल्लंघनीय पूल या पत्थर में नक्काशीदार नहीं हैं। उन पर आधारित है

उनके ओवरलैप और 'इंटरलॉकिंग' आरक्षण हैं। एक अगली कड़ी के रूप में, उनकी गणना न्यायमूर्ति ललित के फैसले के पैराग्राफ 11 में स्पष्टता के साथ निर्धारित विभिन्न चरणों को लागू करके, एक साथ और उल्लंघन न किए गए 'ऊर्ध्वाधर' (या 'सामाजिक') आरक्षण कोटा के साथ की जानी है। इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण कोटा भरने के लिए लागू होने वाला पहला नियम समायोजन का है, अर्थात यह जांच करना कि क्या योग्यता के आधार पर किसी क्षैतिज श्रेणी को खुली श्रेणी में योग्यता सूची में समायोजित किया जाता है, और फिर, विशेष श्रेणी के भीतर ऐसी क्षैतिज श्रेणी के लिए कोटा में।

निर्दिष्ट/सामाजिक आरक्षण। [ पैरा 10] [342-ए-सी] 3. खुली श्रेणी एक 'कोटा' नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसी तरह, जैसा कि राजेश कुमार में कहा गया है। डारिया वी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, 2007 (8) एस. सी. सी. 785, [2020] 11 एस. सी. आर.

पुरुषों के लिए कोई कोटा नहीं है। यदि दूसरा दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है [जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजय कुमार बनाम में अभिनिर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 5 ए. एल. जे. 466 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश और अन्र. वी. उदय सिसोद और ओआरएस। ( 2019 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 5750, न्यायमूर्ति ललित के अनुच्छेद 20 में संदर्भित

निर्णय], परिणाम महिला उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करना होगा, चाहे उनका प्रदर्शन कुछ भी हो, उनकी सामाजिक आरक्षण श्रेणियों में और इसलिए, तर्क और योग्यता के लिए विनाशकारी। दूसरा दृष्टिकोण, इसलिए-शायद अनजाने में

समर्थन करता है-लेकिन निश्चित रूप से चयन सूची में महिलाओं की संख्या को नियम द्वारा आश्वासन दिए गए समग्र संख्यात्मक कोटे तक सीमित कर देता है। [ पैरा 11] [342-ए-ई]

4. मेरी राय में, दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, जब निर्धारित प्रतिशत से अधिक 20 प्रतिशत (मान लीजिए, 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत) महिला उम्मीदवार सबसे मेधावी श्रेणी में आती हैं। द. अजय कुमार और उदय सिसोद में कहा गया दूसरा दृष्टिकोण इस प्रकार योग्यता को दंडित करता है। गतिशीलता या प्रवास का सिद्धांत, जिसे इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम में बरकरार रखा। रमेश राम (2009) 6 एस. सी. सी. 619 और अन्य मामलों में तब भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग होगा, क्योंकि यह विशेष श्रेणी के पुरुषों की गतिशीलता के लिए लागू होगा, लेकिन ऐसी विशेष श्रेणियों में महिलाओं के मामले में लागू नहीं होगा (जैसा कि इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है) उन महिलाओं के लिए जो खुली/सामान्य श्रेणी में अपने समकक्षों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं। [ पैरा 12] [342-ए-एफ; 343-ए]

5. ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि हैं। इन्हें कठोर "स्थान" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाए जाने का हकदार बनाती है, को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि यदि राज्य का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा करने से, एक सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित है, इस प्रकार योग्यता को नकारता है। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें एक उम्मीदवार को दिखाने की एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो।

या उसे। [ पैरा 15] [344-ए-जी]

उदय उमेश ललित के निर्णय में, जे।

श्री वी. वी. गिरि बनाम दिप्पाला सूरी डोरा और अन्य [1960]

1 एस. सी. आर. 426-अनुसरण किया गया।

मेघा शेट्टी बनाम। राजस्थान राज्य 2013 (4) आरएलडब्ल्यू 3227 (राज। नीलम शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य।

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

( 2015 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 1391; आशा रामनाथ घोलप बनाम। अध्यक्ष, जिला चयन समिति/कलेक्टर (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1623-20; कंचन

विश्वनाथ जगतप बनाम। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नागपुर और अन्य (2016) 1 माह। एल. जे. 934; तेजस्विनी रघुनाथ गालांडे वी. चारिमन,

अन्य (2019) 4 माह एल. जे. 52-207; चारुशिला बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1519; शांताबाई लक्ष्मण डोइफोडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1659; उत्तराखंड

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और एक अन्य v. रंजीता राणा और एक अन्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 481; सुधीर कुमार बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य ने 2017 की रिट याचिका (एस/बी) No.392 दिनांक 11.12.2018; तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई बनाम। शीतल अमृतलाल निशार आर/एल. पी. ए. No.1910 2018 के आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन No.18968 आदि में 2019 का निर्णय 05.08.2020 -

स्वीकृत किया गया। अजय कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2019) 5 ए. एल. जे. 466; मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य v. उदय सिसोद और अन्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 5750

-

सेवा आयोग और अन्य (2007) 8 एस. सी. सी. 785; [2007] 8 एस. सी. आर. 972; के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 202; [ 2010 ] 6 एससीआर 972; लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल आदि। ममता बिष्ट और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 204; [2010] 7 एस. सी. आर. 289; आलोक कुमार सिंह और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; (2019) 14 एस. सी. सी. 692; [2018] 14 एस. सी. आर. 328-संदर्भित।

[ 202

0 ] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[ 2018 ] 14 एससीआर 328

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

( 1992 ) 3 पूरक। एससीसी 217

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 1995 ] 1 एससीआर 827

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 1995 ] 2 पूरक। एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 2007 ] 8 एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 2010 ] 6 एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 2010 ] 7 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 1960 ] 1 एससीआर 426

पीछा किया।

पैरा 22

रवींद्र भट के निर्णय में, जे।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, (1992) पूरक। ( 3 ) एससीसी

766 ; राजेश कुमार दरिया बनाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग (2007) 8 एससीसी 785; [2007] 8 एससीआर 972

-

पर भरोसा किया।

अनिल कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1995) 5 एससीसी 173;

[ 1995 ] 2 पूरक। एससीआर 396; स्वाति गुप्ता बनाम। यूपी राज्य

( 1995 ) 2 एससीसी 560; [1995] 1 एससीआर 827; जितेंद्र कुमार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एससीसी 119; [2010] 1

एस. सी. आर. 325; अनुपल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एस. सी. सी.

173 ; [ 2019 ] 12 एस. सी. आर. 1071-संदर्भित।

मेघा शेट्टी बनाम। राजस्थान राज्य 2013 (4) आरएलडब्ल्यू;

नीलम शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य (2015) एस. सी. सी.

( ऑनलाइन) राज 139; तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई बनाम। शीतल अमृतलाल निशार आर/एल. पी. ए. सं. 1910 आर/स्पेशल में

सिविल। ऐप सं. 18968/2018 द्वारा 5.8.2020 पर निर्णय लिया गया

गुजरात उच्च न्यायालय; आशा रामनाथ घोलप बनाम। अध्यक्ष, जिला चयन आयोग/कलेक्टर,

( 2016 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1623; कंचन विश्वनाथ

जगतप और अन्न। वी. महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण

& ओआरएस। 2016 माहा। एल. जे. 934; तेजस्विनी रघुनाथ

गोलांडे बनाम। अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक सेवाएँ आयोग 2019 माह। एलजे 527; चारुशिला बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, (2019) एससीसी ऑनलाइन बम 1519; शांताबाई लक्ष्मण डोइफोडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

( 2020 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1639; उत्तराखंड

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग v. रंजिता

यूपी और ओआरएस। ( 2019 ) 5 ए. एल. जे. 466; मध्य राज्य प्रदेश और अन्न। वी. उदय सिसोद और ओआरएस। ( 2019 ) एससीसी

ऑनलाइन एमपी 5750-अस्वीकृत।

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

भारत का वी. रमेश राम (2009) 6 एससीसी 619; [2009] 9 एस. सी. आर. 775-संदर्भित।

हनुमंत दत्त शुक्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 16 एससीसी

447 ; आलोक के. सिंह और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य

सीए No.11370/2018; सुनैना त्रिपाठी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। , ( 2012 ) 3 एडीजे 463-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

( 2018 ) 16 एस. सी. सी. 447

पैरा 1

संदर्भित किया गया है

[ 1995 ] 1 पूरक। एससीआर 462

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

( 1992 ) 3 पूरक। एस. सी. सी. 766

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[ 1995 ] 2 पूरक। एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[ 1995 ] 1 एससीआर 827

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[ 2010 ] 1 एससीआर 325

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[ 2007 ] 8 एससीआर 972

पैरा 8

उस पर भरोसा करें

[ 2009 ] 9 एससीआर 775

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[ 2019 ] 12 एससीआर 1071

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23223 में 2019 का विविध आवेदन संख्या 2641।

उच्च न्यायालय के 16.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की लिखित याचिका-ए संख्या 21084 में इलाहाबाद में न्यायपालिका की।

डब्ल्यू. पी. (C) 2020 का No.237

विनोद कुमार दिवाकर, सौरभ मिश्रा, एएजी। , सुश्री विभा दत्ता

मखीजा, विनय नवारे, गोपाल शंकरनारायणन, नीरज किशन कौल, पी. एस. पटवालिया, डॉ. मनीष सिंघवी, पुरुषेंद्र कौरव, एस. आर. सिंह, एस. आर. रूंगटा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गरिमा प्रसाद, अदलीब नकवी, सुश्री नूपुर दुबे, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री वाणी व्यास, प्रवीण गौर, अनुराग दुबे, राजेश पाठक, सुमित कुमार, सुश्री कुमारी सुप्रिया, सुश्री उषा पांडे, बिनोद मिश्रा, रवि चंद्र प्रकाश, अमित, अभिषेक त्रिपाठी, श्रुतंजय भारद्वाज, अनिल भट, दानिश जुबैर खान, कुमार गौरव, रॉबिन खोखर, सुश्री अनुराधा मिश्रा, मयंक क्षीरसागर, मुकेश कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, पार्थसारथी बोस, सुश्री पंखुड़ी, अंकुर यादव, सुमित प्रगल, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, अर्जुन गर्ग, सुश्री रति टंडन, सौरभ कृपाल, अनूप

चक्रवर्ती, सुश्री निदा खान, पी. एन. पुरी, सुरेंद्र सिंह राणा, शांतनु जुगतावत, इक्षित सिंघल, मोहित कौशिक, सुश्री भानु प्रिया शर्मा, [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री नीरज सिंह, सुश्री रितु रेनीवाल, सुश्री अंजू के वर्की, दिव्यकांत लाहोटी, परीक्षित आहूजा, प्रवीण बिष्ट, सुश्री विंध्य मेहरा, सुश्री मधुर झावर, कार्तिक लाहोटी, जय गोपाल साबू, सतीश पांडे, सलीम अंसारी, उमंग त्रिपाठी, सुश्री निनंदा नायर, आदर्श त्रिपाठी, अनीश गुप्ता, निखिल कांडपाल, गौरव श्रीवास्तव, संजय के. अग्रवाल, सुश्री अंकिता खरे, सार्थक नेमा, रोहित सोहगौरा, सुयश मोहन गुरु, वर्धमान कौशिक, अश्विनी कुमार दुबे, अनिल ए. थॉमस, मनीष कुमार, अमन झा, आशुतोष मोहन, आर. सी. कोहली, एल. सी. पटने, राघव पांडे, सुश्री रेखा पांडे, कृष्णा एम. सिंह, एस. आर. सेतिया, मयंक पांडे, गौरव, निखिल जैन, राजीव रंजन द्विवेदी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

2019 का त्रुटिपूर्ण आवेदन NO.2641

1. इस विविध अनुप्रयोग को प्राथमिकता दी गई है

सुश्री सोनम तोमर और सुश्री रीता रानी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और क्रमशः 276.5949 और 233.1908 अंक प्राप्त किए थे। वे.

ओ. बी. सी.-महिला और एस. सी.-महिला की श्रेणियों में आवेदन किया था। 2. उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में जारी निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उनके दावे को खारिज कर दिया गया है

2018 के आई. ए. No.10394 में दिनांकित 24.07.2019 (आशीष कुमार यादव और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और कम अंकों वाले उम्मीदवारों को उनके दावे की अवहेलना करते हुए सामान्य महिला श्रेणी में चुना गया है।

3. इस विविध आवेदन के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक बुनियादी तथ्य, जैसा कि दिनांक 24.07.2019 के उक्त आदेश में कहा गया है, निम्नानुसार हैं: -

उपलब्ध थे। यह

उल्लेख किया जाना चाहिए कि यू. पी. पुलिस में उप-निरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया एक साथ और एक चुनौती यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. में चल रही थी।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

उक्त प्रक्रिया के संबंध में उठाए गए, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने साकेत कुमार और अन्य के मामले में अपने दिनांक 29.05.2015 के आदेश के माध्यम से। बनाम। यू. पी. और 2 ओ. आर. एस. राज्य ने निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के उत्तर पत्रों का उत्तर देते समय ब्लेड और व्हाइटनर का उपयोग किया था, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और

चयन सूची से उनके नाम हटा दिए जाएँ।

यह मामला इस अदालत के समक्ष अपील में और इसके निर्णय दिनांक 19.01.2016 (हनुमान दत्त शुक्ला और अन्य) द्वारा चलाया गया था। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2), यह निर्णय दिया गया था कि जिन लोगों ने ब्लेड और व्हाइटनर का उपयोग किया था, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए था। हालाँकि, उस समय तक चयन की प्रक्रिया साकेत कुमार में पारित आदेश के संदर्भ में वरिष्ठता सूची को फिर से काम करने के साथ आगे बढ़ गई थी। इसलिए इस अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों का चयन 'साकेत कुमार' के निर्देशों के परिणामस्वरूप किया गया था, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने ब्लेड और व्हाइटनर का उपयोग किया था, उन्हें दिया जाना चाहिए। एक काल्पनिक चयन में लाभ या लाभ। दूसरे शब्दों में, चयन सूची पर फिर से काम करने का आदेश दिया गया था और यदि ब्लेड और व्हाइटनर का उपयोग करने वाले उम्मीदवार अब चयन सूची का हिस्सा पाए जाते हैं, तो उन्हें विचाराधीन पदों के चयन सहित उचित लाभ दिया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि हालांकि तार्किक रूप से समान संख्या में उम्मीदवारों को चयन की मूल सूची से विस्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन व्यक्तियों ने पहले ही प्रशिक्षण ले लिया था और उनमें से कुछ पदों पर आ गए थे, उन उम्मीदवारों को सेवा से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में, सामान्य चयन से ऊपर चुने गए उम्मीदवारों की अतिरिक्त संख्या को अतिरिक्त पदों के रूप में गिना जाना चाहिए और चयन के लिए मूल पदों का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

एच. डी. शुक्ला 2 में इस तरह से तैयार किए गए सिद्धांत को पुलिस कांस्टेबलों के चयन की प्रक्रिया में अपनाया गया था जो एक साथ चल रहा था और इसके परिणामस्वरूप चयन सूची पर फिर से काम किया गया था। इस प्रकार उन सभी उम्मीदवारों पर विचार किया गया जिन्होंने ब्लेड और व्हाइटनर का उपयोग किया था और उनमें से कुछ का चयन किया गया था। चयन सूची के पुनर्निर्धारण में 4429 उम्मीदवारों को हनुमान दत्त शुक्ल 2 में घोषित कानून के अनुसार लाभ या लाभ दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उन 4429 उम्मीदवारों को अतिरिक्त नियुक्तियों के रूप में लिया जाएगा। उन पदों की संख्या जिनके लिए चयन किया गया था।

ए. 2014 का No.67782 (2015 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1250)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने दिनांकित 16.03.2016 [आशीष कृष्ण। पांडे और 24 अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और 29 अन्य 3], इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि क्षैतिज आरक्षण ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसलिए राज्य को क्षैतिज आरक्षण की पुनः गणना करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

नए सिरे से रिक्तियां। यह मामला उप-निरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में भी था। लगभग उसी समय, उच्च न्यायालय द्वारा मनोज के. आर. में एक और निर्णय दिया गया था। & आशीष केआर में सिद्धांत को अपनाने वाले अन्य लोग। चयन प्रक्रिया में पांडे 3

सिपाही।

4.5.2018 पर, उपेंद्र और अन्य बनाम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था। यू. पी. और अन्य राज्य जहां कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी आरक्षण अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा के अनुसार, क्षैतिज आरक्षण के लिए उम्मीदवारों की उचित संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्तियों को अगले चयन के लिए आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि क्षैतिज आरक्षण की रिक्तियों को अगले चयन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इस प्रकार मामला स्पष्ट था कि उचित संख्या के मामले में

क्षैतिज आरक्षण के लिए सीटों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, ऐसी रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आदेश से पता चलता है कि क्षैतिज आरक्षण में आगे ले जाने के सिद्धांत को अपनाने वाले राज्य द्वारा लगभग 2312 रिक्तियों को नहीं भरा गया था। इसलिए, उपेंद्र के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप, 2312 रिक्तियों को वर्तमान से संबंधित उम्मीदवारों के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्वयं चयन प्रक्रिया।

राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य ने उन 2312 रिक्तियों के संबंध में चयन की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।

.....

यह भी स्वीकार किया जाता है कि इन 2312 रिक्तियों के अलावा, मूल चयन में अभी भी 982 रिक्तियां भरी जानी हैं। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने राज्य को 2312 + 982 रिक्तियों के संबंध में चयन के सार को पूरा करने का निर्देश दिया।

ए. 2015 का No.37599 (2016 एससीसी ऑनलाइन ऑल 187)

एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 2759

सी. 2016 का No.3417; 2018 (7) एडीजे 37 सौरव यादव और ओआरएस।

कानून के साथ। यह भी निर्देश दिया गया कि इन रिक्तियों को भरते समय आरक्षण के सिद्धांत का पालन किया जाएगा और राज्य चयन प्रक्रिया के दौरान तैयार किए गए आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंकों का पालन करेगा और योग्यता के अनुसार सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार करेगा। यह भी घोषित किया गया थाः -

" यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार को चयन से बाहर नहीं रखा जाएगा

केवल इसलिए प्रक्रिया करें क्योंकि उन्होंने ब्लेड या व्हाइटनर का उपयोग किया था। मामले में

उसकी योग्यता की स्थिति अन्यथा उसे चुने जाने की मांग करती है और हकदार बनाती है,

केवल ब्लेड के उपयोग के लिए उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाया जाएगा।

और सफ़ेद "।

4. इसके तुरंत बाद, आशंका व्यक्त की गई कि क्या

उपरोक्त निर्देश केवल पुरुष उम्मीदवारों पर लागू होगा। इसलिए, 17.09.2019 दिनांकित आदेश निम्नानुसार दर्ज किया गया हैः -

" श्री विनोद दिवाकर, राज्य के लिए विद्वान ए. ए. जी. एक बयान देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को ध्यान में रखते हुए

24.07.2019 , किसी भी उम्मीदवार को चयन से बाहर नहीं रखा जाएगा। केवल इसलिए प्रक्रिया करें क्योंकि उसने ब्लेड/व्हाइटनर का उपयोग किया था और

उम्मीदवार की केस मेरिट स्थिति उसे मांगती है और हकदार बनाती है चयनित होने के लिए, केवल उसके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा

ब्लेड/व्हाइटनर का उपयोग करना। बयान रिकॉर्ड में लिया जाता है "।

5. दिनांकित 24.07.2019 आदेश के अनुपालन में, दिनांकित एक शपथ पत्र

13.11.2019 राज्य की ओर से दायर किया गया था जिसमें कहा गया थाः

" 3.3- खुली श्रेणी में 5 डी. एफ. एफ. पुरुष, 1 डी. एफ. एफ. महिला और 187 महिला (सामान्य) का चयन किया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होती है।

क्षैतिज आरक्षण।

4- विभिन्न श्रेणियों के लिए कट ऑफ अंक इस प्रकार हैं -

एसटी

ओसी

ओ. बी. सी.

एससी

313.616 307.233

पुरुष।

24

7.233

283.4033

काटें।

3

बंद करें

महिला (सामान्य श्रेणी) कट ऑफ-274.8928। सभी ओ. बी. सी, एस. सी. और 313.616 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एसटी उम्मीदवारों के पास भी

खुला/अनारक्षित श्रेणी में चुना गया है।

6. विचार न करने में राज्य की ओर से की गई कार्रवाई से व्यथित

सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए पदों के खिलाफ ओ. बी. सी. महिला और अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों का दावा, इस विविध आवेदन को अन्य बातों के साथ जमा करने को प्राथमिकता दी जाती हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. यह कि प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दिनांकित 13.11.2019 के अनुपालन शपथ पत्र के पैराग्राफ 4 के अवलोकन से पता चलता है कि सामान्य/खुली/अनारक्षित श्रेणी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक (313.616) से अधिक प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित सभी पुरुष उम्मीदवारों का भी चयन किया गया है, वही मानक याचिकाकर्ताओं/आवेदकों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने महिला के लिए कट ऑफ मार्क्स (274.8928) से अधिक प्राप्त किए हैं।

सामान्य/मुक्त/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार।

14. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि महिला ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित 21 याचिकाकर्ताओं/आवेदकों ने राज्य के मानदंडों के अनुसार चयनित घोषित महिला (सामान्य श्रेणी) उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अनुपालन शपथ पत्र दिनांक 13.11.2019 "।

इसलिए, आवेदक प्रार्थना करते हैंः -

" ( क) तत्काल आवेदन की अनुमति दें और उत्तरदाता राज्य को 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले आवेदकों/याचिकाकर्ताओं [महिला ओ. बी. सी./एस. सी. उम्मीदवारों] का चयन करने का निर्देश दें।

प्रक्रिया करें और कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करें

( 274.8928 ) सामान्य/मुक्त/अनारक्षित श्रेणी में महिला उम्मीदवारों के लिए;

7. इसके बाद इसी तरह की राहत का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा 2019 का आई. ए. No.25611 दाखिल किया गया है। इस न्यायालय द्वारा 04.03.2020 d दिनांकित आदेश में कहा गया हैः -

" 2019 के एम. ए. No.2641 में दो आवेदकों के संबंध में मामला प्रस्तावित किया गया है जबकि आई. ए. No.25611/2019 में अन्य 20 उम्मीदवारों के संबंध में मामला उठाया जा रहा है। आई. ए. No.25611/2019 में सूचना जारी करें जो 24.3.2020 पर वापस की जा सकती है। सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि 32 महिला उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार अनुसूचित जाति की लड़कियों की श्रेणी से संबंधित हैं जबकि अन्य 21 अनुसूचित जाति की लड़कियों की श्रेणी से संबंधित हैं।

ओ. बी. सी. लड़कियाँ और यह कि अब तक उम्मीदवारों के रूप में कोई मामला नहीं है

एससी-लड़कियों की श्रेणी से संबंधित हैं।

जहाँ तक ओ. बी. सी. लड़कियों का संबंध है, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि इन सभी लड़कियों ने कट ऑफ 274.89 से अधिक अंक प्राप्त किए थे, जिसे महिला (सामान्य)

श्रेणी के लिए घोषित किया गया था। हमारा ध्यान पृष्ठ 110 पर आमंत्रित है। अनुपालन शपथपत्र जो दर्शाता है कि कुछ महिला

जिन उम्मीदवारों ने 274-275 की सीमा में अंक प्राप्त किए थे, उनके पास है

चुना गया।

उराव यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

यह निवेदन है कि ओ. बी. सी. लड़कियों की श्रेणी की आवेदक लड़कियों ने सामान्य श्रेणी की लड़कियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे जिनका चयन किया गया था।

प्रस्तुतियों में से एक विद्वान द्वारा आगे बढ़ाने की मांग की गई

राज्य के वकील ने कहा कि ओ. बी. सी. महिलाओं की श्रेणी थी

पहले दौर में पहले ही समाप्त हो चुका था और चयन जो था

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया

हनुमान दत्त शुक्ला के 2 मामले और मामलों में बाद में फैसला लिया गया

उसी तर्ज पर, केवल उन उम्मीदवारों तक ही सीमित था जिन्हें ब्लेड/इरेजर या व्हाइटनर का उपयोग करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब से

चयन ऐसे उम्मीदवारों तक ही सीमित था, और चूंकि ओ. बी. सी. महिला की श्रेणी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कोई भी उम्मीदवार नहीं हो सकता था।

ओ. बी. सी. महिला उम्मीदवारों से नियुक्त और बाहर। हालांकि,

तथ्य यह है कि सामान्य श्रेणी से आने वाली महिलाएं जो

पृष्ठ 110 के अनुसार, 274-275 की सीमा में अंक प्राप्त किए थे, निश्चित रूप से नियुक्त किए गए हैं, जबकि आवेदक ओ. बी. सी.-लड़कियों को किया गया था।

उनसे अधिक सुरक्षित अंक।

इस प्रकार, यह प्रथम दृष्टया इस बात का कारण नहीं है कि सामान्य श्रेणी में ऐसे उम्मीदवारों को कैसे नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए थे आवेदक लड़कियों की तुलना में अंकों की संख्या।

8. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा 22.07.2020 दिनांकित आदेश पारित किया गया

निम्नलिखित प्रभावः

" श्री विनोद दिवाकर, राज्य के लिए विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया कि

पुरुष कांस्टेबल, ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. उम्मीदवारों की श्रेणी

मुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ से अधिक प्राप्त करने वाले 313.616 का चयन भी मुक्त/अनारक्षित श्रेणी में किया गया था। हालांकि, एक ही मापदंड के संबंध में लागू नहीं किया गया था

महिला उम्मीदवार और इस तरह की कवायद के लिए औचित्य पर था

उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश में जारी किए गए निर्देशों का आधार

16.03.2016 2015 की रिट याचिका No.37599 और दिनांकित आदेश में

20.02.2019 2018 की रिट याचिका संख्या 18442 में "। 9. राज्य सरकार द्वारा अपने हलफनामों में लिया गया रुख था -

देरः

I] एफिडेविट दिनांक 29.11.2019

" उ. वर्ष 2013 में पुलिस कांस्टेबल (यूपी सिविल पुलिस/पीएसी/फायरमैन) के 41610 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। विवरण इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तालिका-1

श्रेणी

सिविल

फ़ायरमा

कुल

एस. नहीं

पीएसी

पुलिस

एन

y

खोलें।

17750

2016 1038

1

20804

11235

ओ. बी. सी.

9585

2

7455

8738

3

एससी

एसटी

4

710

833

कुल

4033 2077

35500

41610

B. क्षैतिज आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है

तालिका-2

वर्टीकल

कुल

क्षैतिज आरक्षण रिक्तियां

आरक्षण

रिक्तियां

डी. एफ. एफ. होम

महिला

अल ई

भूतपूर्व

सर्विसीमा

02 %

गार्ड

( केवल

( केवल

एन 05%

सिविल

के लिए

पुलिस)

के लिए

सिविल

20 %

पुलिस

& पीएसी

05 % )

3550

1040

20804

खोलें।

11235

562

ओ. बी. सी.

1917

1491

437

एससी

8738

एसटी

833

142

42

2081

कुल

कोई नहीं।

अपेक्षित परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 16-07-2015 पर परिणाम घोषित किए गए। 38315 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया और संबंधित श्रेणियों में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 3295 पद खाली रहे।

ग. माननीय उच्चतम न्यायालय के 24 07-2019 के आदेश के अनुपालन में, सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए योग्यता के अनुसार 3295 पदों के खिलाफ चयन किया गया है। परिणाम 11.11.2019 पर घोषित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सिविल पुलिस (तालिका-2) के 35500 पदों की तुलना में 7100 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जिसमें 3550 पद सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए थे। इस स्तर पर ओ. बी. सी. और एस. सी. महिलाएँ

उम्मीदवारों को पहले से ही उनके आवश्यक यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. में अधिशेष में ले जाया गया था।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

संबंधित श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों की संख्या 3550 की तुलना में केवल 3062 थी (संदर्भ। तालिका-2)। इसलिए, खुली श्रेणी में 188 सामान्य महिला उम्मीदवारों को चुना गया है।

3550 ओपन के खिलाफ अपने आरक्षण कोटे को भरने के लिए चुना गया

महिला श्रेणी के उम्मीदवार "।

II. एफिडेविट दिनांकित 21.07.2020

" 13. यह फिर से दोहराया जाता है कि सिविल पुलिस में कुल रिक्तियों में से 3550 सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित थे।

1970 ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित थे, 1491 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और

142 एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। यह फिर से है

दोहराया कि ओ. बी. सी. और एस. सी. महिला उम्मीदवार पहले से ही

रिक्तियों के विरुद्ध चुना गया है इसलिए बाद में

चयन में उनकी योग्यता पर विचार नहीं किया गया है।

10. चूंकि राज्य द्वारा आदेश पर निर्भरता रखी गई है

16.03.20163 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2015 के रिट आवेदन No.37599 में पारित, उक्त आदेश में कुछ प्रासंगिक वचन यहाँ उद्धृत किए गए हैं:

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील आग्रह करेंगे कि (i) योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को निर्धारित करते समय बाहर रखा जाना चाहिए।

संबंधित क्षेत्रों में समायोजित की जाने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या

(iii) महिलाएं एक वर्ग हैं, इसलिए उनकी सामाजिक श्रेणी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, (iv) जिन सिद्धांतों का आग्रह किया जाना चाहिए, यदि उनका पालन नहीं किया जाता है, तो वे "उच्च जाति" के पक्ष में आरक्षण के समान होंगे, जो संविधान का उद्देश्य या उद्देश्य नहीं है। यह तर्क, मेरी राय में, न केवल गलत धारणा है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित है जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया जा रहा है।

क्षैतिज आरक्षण के लिए जिन सिद्धांतों का आग्रह किया जा रहा है, यदि उन्हें स्वीकार किया जाता है, तो वे अनिवार्य रूप से अधिनियम, 1993 के प्रावधानों, पहले निर्दिष्ट सरकारी आदेशों और सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय के अनुरूप होंगे। मुझे यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य और बोर्ड दोनों ने, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता है, और महाधिवक्ता ने, वकीलों के एक समूह की सहायता से, दंड से मुक्त होकर अपने स्वयं के सरकारी आदेशों और अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के खिलाफ रुख अपनाया है। यह पूछे जाने पर कि महाधिवक्ता न केवल सरकारी आदेशों के खिलाफ बल्कि क्षैतिज आरक्षण के संबंध में पिछले चयनों में बोर्ड द्वारा लगातार पालन किए जा रहे सिद्धांतों के खिलाफ भी बहस कर रहे थे, श्री सिंह ने तर्क दिया कि बोर्ड द्वारा अपनाया गया सिद्धांत 'न्यायसंगत' है, इसलिए राज्य बोर्ड द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का समर्थन करता है। हालाँकि, इस तर्क का किसी भी प्राधिकरण द्वारा समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों पर दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में भरोसा किया गया था।

नतीजतन, तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया जाता हैः

( i) क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों (महिला, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर) को खुली श्रेणी में सामूहिक रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी यानी ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के साथ समायोजित करना होगा।

" "

( जोर दिया गया)

11. एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय की पुष्टि की गई थी

उच्च न्यायालय की खंड पीठ 7 द्वारा निम्नलिखित के साथ

वैशनः -

" 31. क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय,

श्रेणी को एक भूमिका निभानी है क्योंकि उस समय जब क्षैतिज आरक्षण को दबाया जाना है, तो विचाराधीन योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाना है और

जो पुरुष उम्मीदवार योग्यता के अनुसार सूची में सबसे नीचे हैं, उन्हें महिला उम्मीदवार के लिए जगह बनानी होगी। एक उम्मीदवार, जो ओ. बी. सी./एस. सी./एस. टी. श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण के उद्देश्यों के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ा है, उसे अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण में एक बार

आपको चुना जाता है, योग्यता के आधार पर, इस तरह के परिवर्तन की अनुमति है

कानून का संचालन और इसे ध्यान में रखते हुए, एक बार ऐसा होने पर यह तथ्यात्मक है

ऐसी स्थिति जो इतनी उभर रही है कि सभी उम्मीदवारों के पास एक बार

यूपी और ओआरएस। बनाम आशीष कुमार पांडे और अन्य। : 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 2611 सौरव यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

विशेष आरक्षण के संदर्भ में अपनी श्रेणी निर्दिष्ट की, तब उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया जाना है और

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ओपन के खिलाफ प्लेसमेंट के लिए नहीं कह सकते हैं।

श्रेणी यह दावा करके कि उनके पास उच्च योग्यता है, क्योंकि,

केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में, योग्यता की भूमिका होती है

जिसमें सूची को अंतिम रूप दिया जाता है लेकिन उस समय जब प्रदान करने के लिए

क्षैतिज आरक्षण समायोजन किया जाना है, फिर विभिन्न समायोजन उस सूत्र के अनुसार किया जाना आवश्यक है जिसके पास है

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और अनुसमर्थित किया गया कि मामले में क्षैतिज आरक्षण का, समायोजन करके किया जाएगा

उपयुक्त श्रेणियों में उपयुक्त नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय था इस तथ्य के प्रति सचेत, कि इस तरह के प्रावधान के अधीन किया जा सकता है

दुरुपयोग और तदनुसार, स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की गई थी उदाहरण देते हुए और फिर यह प्रदान करते हुए कि यदि क्षैतिज आरक्षण है

संतुष्ट नहीं, विशेष आरक्षण उम्मीदवार की अपेक्षित संख्या

उनके खिलाफ लिया और समायोजित/समायोजित किया जाना है संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियाँ। धारा की उप-धारा (3)

3 1993 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है -

तदनुसार लागू किया जाए, इसमें क्षैतिज आरक्षण का अनुप्रयोग

निर्धारित तरीके से विशेष आरक्षण कोटे की योग्यता को बनाए रखा जाता है

उम्मीदवार सेवा में अपने प्रतिनिधित्व के साथ, इसे देखते हुए,

सीखा एकल न्यायाधीश समय के बिंदु पर बिल्कुल सही है जब वह राज्य सरकार की आलोचना करने के लिए आगे बढ़े हैं

ऐसी स्थिति और एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए जो बिल्कुल भी नहीं थी

कानून में विहित और इस प्रकार 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करते हुए,

इसे ध्यान में रखते हुए, लर्नड सिंगल जज द्वारा पारित आदेश ऐसा करता है मामले के इस पहलू पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

( जोर दिया गया)

12. द्वारा पारित 20.02.2019 दिनांकित आदेश में टिप्पणियाँ

प्रमोद कुमार सिंह और अन्य बनाम इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की खंड पीठ। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों पर भी राज्य सरकार भरोसा करती है। उस मामले में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए क्षैतिज आरक्षण, पूर्व। पुलिस कांस्टेबलों के लिए एक ही चयन में सैनिकों और महिलाओं को मुद्दा बनाया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए नोट पर विचार किया जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों को निर्धारित करने और भरने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया थाः

" भर्ती को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

व्यायाम को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया गया हैः

8 2018 [2020] 11 एस. सी. आर. का ए. सं. 18442 लिखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" चरण 3.1 सूची-1 से उनकी योग्यता (कुल अंक) के क्रम में खुली श्रेणी में 1,1958 उम्मीदवारों का चयन करें। इस सूची में किसी भी राज्य या किसी भी आरक्षित श्रेणी (ओ. बी. सी./एस. सी./एस. टी.) के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आइए हम इस सूची को सूची 1-ए कहते हैं।

अब सूची-1 से चरण 3.1 के बाद छोड़े गए उम्मीदवारों में से ओ. बी. सी. श्रेणी के 10345 उम्मीदवारों का चयन करें। इसमें केवल यू. पी. के अधिवास वाले ओ. बी. सी. उम्मीदवार शामिल होंगे। आइए हम इस सूची को सूची-1-बी के रूप में देखें।

अब सूची-1 से चरण 3.1 के बाद बचे उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति श्रेणी के 8046 उम्मीदवारों का चयन करें। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के अधिवास वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शामिल होंगे। आइए हम इस सूची को सूची 1-सी के रूप में देखें। अब सूची-1 से चरण 3.1 के बाद छोड़े गए उम्मीदवारों में से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 766 उम्मीदवारों का चयन करें। इसमें केवल यू. पी. के अधिवास वाले एस. टी. उम्मीदवार शामिल होंगे। आइए हम इस सूची को सूची 1-डी के रूप में देखें।

चरण 3.5 यदि सूची-1-सी में उम्मीदवारों की संख्या आवश्यक संख्या से कम है तो अनुसूचित जाति के लिए 8046 उम्मीदवारों की कमी होगी और यदि उपलब्ध हो तो चरण 3 के बाद शेष अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भरा जाएगा। यदि अनुसूचित जाति का आवश्यक कोटा नहीं भरा जाता है, तो कमी वाले पदों की संख्या अलग से दिखाई जानी चाहिए। इसी तरह अगर एस. टी. उम्मीदवारों की संख्या अधिक होगी तो एस. सी. से कमी पूरी की जाएगी। यदि उपलब्ध हो तो चरण 3 के बाद शेष उम्मीदवार। यदि आवश्यक एसटी अभी भी खाली है तो कमी वाले पदों की संख्या अलग से दिखाई जानी चाहिए।

चरण 3.1 इस प्रकार उम्मीदवारों की चार सूचियाँ निम्नलिखित रूप में तैयार की जाएंगीः

सूची-1-ए

सूची-1-सी

सूची-1-बी

सूची-1-डी

( एससी)

( एसटी)

( ओसी)

( ओ. बी. सी.)

766 ( केवल

19158

10345

8046

( केवल

( करेंगे।

( केवल एससी,

एसटी,

ओ. बी. सी.

शामिल करें

अधिवास

अधिवास

अधिवास

जनरल,

ofU.P.)

ई का

ofU.P.)

ओ. बी. सी.

यू. पी.)

किसी भी राज्य)

चरण 4 सूची-1 से शेष उम्मीदवारों की एक अलग सूची तैयार करें जो सूची-1-ए, 1-बी, 1-सी और 1-डी में शामिल नहीं हैं। आइए हम इस सूची को सूची-1 कहते हैं।

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

चरण 4.1 अब सूची-1 ए से सामान्य श्रेणी (यू. पी. का अधिवास रखने वाले) से संबंधित डी. एफ. एफ. उम्मीदवारों की संख्या की गणना करें। उम्मीदवार ओ. बी. सी./एस. सी./एस. टी. श्रेणी के नहीं होने चाहिए। यदि उम्मीदवारों की संख्या 383 या उससे अधिक है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा सूची-2 से योग्यता के आधार पर डी. एफ. एफ. से संबंधित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की कमी का चयन करें।

उम्मीदवार जो ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. श्रेणी से संबंधित नहीं हैं) और सामान्य श्रेणी डी. एफ. एफ., पूर्व सैनिक, महिला और गृह रक्षक उम्मीदवारों (कोई भी उम्मीदवार जो क्षैतिज के लिए पात्र है) को छोड़कर सूची-1-ए के नीचे से समान संख्या में उम्मीदवारों को हटाने के बाद उन्हें समायोजित/सम्मिलित करें।

आरक्षण) "।

उच्च न्यायालय ने तब निम्नानुसार निर्देश दियाः

" इसलिए इन रिट याचिकाओं का निपटारा राज्य के उत्तरदाताओं को अभियान के साथ आगे बढ़ने और सचिव के व्यक्तिगत हलफनामे के साथ दायर किए गए नोट में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार चयन प्रक्रिया को सख्ती से समाप्त करने के निर्देश के साथ किया जाता है। इस न्यायालय ने यह आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया है और केवल ऊपर उल्लिखित मुख्य प्रस्तुतियों पर विचार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी व्यक्तिगत दावों को अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद उठाया जा सकता है और उस संबंध में गुण-दोष पर सभी तर्क खुले रखे जाते हैं।

13. आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा और श्री गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि राज्य द्वारा लिया गया रुख इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के पूरी तरह से विपरीत है और उच्च न्यायालय के आदेशों में निकाले गए निष्कर्ष, जिन पर भरोसा किया जाता है, भी गलत थे।

14. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर ने प्रस्तुत किया है कि आलोक कुमार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में अपने फैसले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश को मान्यता दी गई थी और राज्य उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से बाध्य होने के कारण, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, 'सामान्य महिला श्रेणी' के पदों के खिलाफ 'ओ. बी. सी. महिला श्रेणी' के उम्मीदवारों के दावे पर विचार नहीं किया।

15. इस स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुतियों में लिए गए रुख को भी इस प्रकार व्यक्त किया जाना चाहिएः

" 10. यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका संख्या 37599, जिसका शीर्षक आशीष कुमार पांडे और अन्य है, में पारित दिनांक 16.03.2016 के आदेश और 2018 की रिट याचिका संख्या 18442, जिसका शीर्षक प्रमोद कुमार है, में पारित दिनांक 20.02.2019 के आदेश के अनुपालन में

सिंह और अन्य, 2052 सामान्य महिलाओं की एक अलग चयन सूची उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत पूरा करने के लिए 10.06.2019 पर घोषित किया गया था।

महिलाओं और पूरे चयन के लिए क्षैतिज आरक्षण शुरू किया गया

सूची फिर से तैयार की गई। ओ. बी. सी. और एस. सी. महिला उम्मीदवारों पर चयन सूची में विचार नहीं किया गया था क्योंकि उनका क्षैतिज कोटा पहले से ही था।

पिछली सूची में समाप्त "।

16. इस प्रकार, जो तथ्य स्वीकार किए जाते हैं या अभिलेख पर स्वीकार किए जाते हैं, वे इस प्रकार हैंः

क) इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 24.07.2019 के आदेश में जारी निर्देशों के अनुसरण में, 3295 पदों के लिए चयन के अनुसार

योग्यता और आरक्षण नीति के अनुरूप

सरकार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

ख) 11.11.2019 पर घोषित परिणामों के अनुसार, 188 पदों में

' सामान्य महिला श्रेणी को भरा गया।

ग) उक्त 188 पदों को भरते समय, 'ओ. बी. सी. महिला' का दावा

उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया या उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया।

घ) 'सामान्य' की श्रेणी में नियुक्त अंतिम उम्मीदवार

महिला 'ने 274.8298 अंक प्राप्त किए थे।

ई) आवेदक सं। 1 सुश्री सोनम तोमर ने 276.5949 अंक प्राप्त किए थे, अर्थात 274.8298 अंकों के साथ उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उनके दावे पर विचार नहीं किया गया।

च) 21 ऐसे आवेदक जो 'ओ. बी. सी.' श्रेणी से आते हैं।

महिला 'इस न्यायालय के समक्ष हैं जिन्होंने इससे अधिक प्राप्त किया था

274.8928 निशानियाँ।

वर्तमान मामले में 'सामान्य महिला श्रेणी' की सीटों के संबंध में श्रेणी 'उम्मीदवार प्रश्नगत हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी भी 'अनुसूचित जाति महिला श्रेणी' के उम्मीदवार, जिनका चयन नहीं किया गया था, ने 274.8928 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए, आवेदक सं। 2 और अन्य समान रूप से

स्थित 'अनुसूचित जाति महिला श्रेणी' के उम्मीदवार समान आधार पर खड़े नहीं होते हैं। 17. शुरुआत में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आलोक कुमार सिंह में निर्णय ने 16.03.2016 दिनांकित आदेश को मान्यता दी थी

प्रतिवाद किया। इस न्यायालय के निर्णय में टिप्पणियां थीं: " 9. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय 3 के संदर्भ में 16-3 पर दिया गया है।

2016 जिसकी पुष्टि डिवीजन बेंच ने अपने फैसले से की थी

और क्षैतिज के संबंध में दिनांकित 29-7-20167 का आदेश

परिणाम को अंतिम रूप देते समय आरक्षण अपनाया जाएगा, एक और संशोधित

10 यद्यपि 24.07.2019 दिनांकित आदेश में यह आंकड़ा 3294 (2312 + 982) बताया गया है, राज्य के अनुसार, वास्तविक आंकड़ा 3295 है।

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

अंतिम परिणाम 29-11-2016 पर प्रकाशित किया गया था। चूंकि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए हमने इस तरह की चुनौती और इस तरह के निर्देशों के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों के संबंध में विवरण में जाने से परहेज किया है।

घटनाओं का वर्णन केवल दिनांकित 16.03.2016 आदेश के प्रभाव और अपील में इसकी पुष्टि को नोट करने के लिए था, जिसके परिणामस्वरूप

कौन सी संशोधित अंतिम सूची 29.11.2016 पर प्रकाशित की गई थी। जैसा कि टिप्पणियों से संकेत मिलता है, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई चुनौती के संबंध में विवरण में नहीं गया था क्योंकि इसके लिए कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था विचार करें। इसलिए, हम इस निवेदन को अस्वीकार करते हैं कि 16.03.2016 दिनांकित आदेश इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित था।

18. राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाइयों की वैधता और शुद्धता पर विचार करते हुए पहले कदम के रूप में, हम क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर ध्यान दे सकते हैंः ए) जीवन रेड्डी, जे. इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में अपने लिए और इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की ओर से बोल रहे हैं।

और अन्य 1 1 को निम्नानुसार देखा गयाः 812. हमारा यह भी मानना है कि 50 प्रतिशत का यह नियम केवल अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण पर लागू होता है। इस समय एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हैः सभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं हैं। दो प्रकार के आरक्षण हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (अनुच्छेद 16 (4) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि भौतिक रूप से इसके पक्ष में आरक्षण

ऊर्ध्वाधर आरक्षण-जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पक्ष; यह एक होगा

अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण। इस कोटे के खिलाफ चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान पर रखा जाएगा।

श्रेणी; यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा; इसी तरह, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों के लिए प्रावधान करने के बाद भी, आरक्षण का प्रतिशत पक्ष में है

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग बना रहता है-और रहना चाहिए

एक ही। इस तरह से कई राज्यों में इन आरक्षणों पर काम किया जाता है और उस प्रक्रिया को जारी नहीं रखने का कोई कारण नहीं है।

ख) स्वाति गुप्ता (सुश्री) में बनाम। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यू. पी. और अन्य राज्यों के संदर्भ में, जी. ओ. दिनांक 1 के पैरा 2 के प्रभाव पर विचार किया और यह कहा गयाः

" 3. इसी तरह, सामान्य श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले परिपत्र में अन्य दोष को हटा दिया गया है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण अब सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत है। पहले के परिपत्र में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण, जिसने ऊर्ध्वाधर आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया था, अब इसे सभी सीटों पर विस्तारित करने वाले संशोधित परिपत्र में क्षैतिज बना दिया गया है। आरक्षण अब सामान्य श्रेणी में नहीं है। संशोधित परिपत्र सी. पी. एम. टी. में सभी सीटों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है-एक, सामान्य और अन्य आरक्षित। दोनों को 50 प्रतिशत आवंटित किया गया है। परिपत्र के पैरा 2 में बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और वे पैरा 1 में उल्लिखित श्रेणी के होते हैं, उन्हें सामान्य या आरक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस श्रेणी से संबंधित हैं, इस तरह का आरक्षण इंदिरा साहनी में इस न्यायालय द्वारा कही गई बात के विपरीत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए था या नहीं, इसे चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए इस न्यायालय को जांच करने की आवश्यकता नहीं है यह "।

ग) अनिल कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। यू. पी. राज्य और

अन्य 1 3, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने वर्गीकृत आरक्षण के विरुद्ध समग्र आरक्षण की अवधारणा की व्याख्या की और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के लिए सीटों को भरते समय उठाए जाने वाले कदमों का विवरण नीचे दिया गया हैः

" 15. आई. डी. 1 की संशोधित अधिसूचना और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपरोक्त शुद्धिपत्र पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारी राय है कि इसमें प्रयुक्त अस्पष्ट भाषा को देखते हुए, इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है कि क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण हैं या विभाजित आरक्षण।

हम इन दोनों अभिव्यक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं। जहाँ क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों को आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण और अंतर-हस्तांतरणीय नहीं हैं, यह कम्पार्टमेंटल आरक्षण का मामला होगा। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैंः इसी मामले को लीजिए; कुल 746 सीटों में से 112 सीटें (पंद्रह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली) विशेष आरक्षण उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी चाहिए; साथ ही, अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 27 प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि ओ. बी. सी. के लिए 201 सीटें; यदि 112 विशेष आरक्षण सीटें भी विभाजित हैं।

12 ( 1995 ) 2 एससीसी 560

13 ( 1995 ) 5 एस. सी. सी. 173 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

आनुपातिक रूप से ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के बीच, 30 सीटें ओ. बी. सी. श्रेणी को आवंटित की जाएंगी; दूसरे शब्दों में, तीस विशेष श्रेणी के छात्रों को ओ. बी. सी. श्रेणी में समायोजित किया जा सकता है; लेकिन कहें कि ओ. बी. सी. से संबंधित केवल दस विशेष आरक्षण उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो इन दस उम्मीदवारों को निश्चित रूप से ओ. बी. सी. कोटे के बीच आवंटित किया जाएगा, लेकिन शेष बीस सीटें ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं।

ओ. सी. श्रेणी में स्थानांतरित (वे केवल ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे) या उस मामले के लिए, किसी अन्य श्रेणी में; यह होगा कि क्या विशेष आरक्षण की आवश्यक संख्या है।

उम्मीदवार (373 में से 56) ओ. सी. श्रेणी में उपलब्ध हैं या नहीं; विशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्गों (ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी.) में एक जलरोधक डिब्बे होगा। इसके विपरीत, समग्र आरक्षण में जो होता है वह यह है कि विशेष आरक्षण के छात्रों को उनकी संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणी में आवंटित करते समय, विशेष आरक्षण श्रेणियों के पक्ष में समग्र आरक्षण का सम्मान किया जाना बाकी है। इसका मतलब है कि उपरोक्त चित्रण में, बीस शेष सीटें होंगी

ओसी श्रेणी में स्थानांतरित किया गया जिसका अर्थ है कि ओसी श्रेणी में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की संख्या 56 + 20 = 76 होगी। इसके अलावा, यदि अनुसूचित जाति से संबंधित कोई विशेष आरक्षण उम्मीदवार नहीं है और एसटी उपलब्ध है तो एससी और एसटी में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों के लिए आनुपातिक सीटों की संख्या भी ओसी श्रेणी में स्थानांतरित हो जाती है। परिणाम यह होगा कि 112 के अपने कोटे को पूरा करने के लिए 102 विशेष आरक्षण उम्मीदवारों को ओसी श्रेणी में समायोजित करना होगा। इसके विपरीत भी हो सकता है, जो आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के बीच अंतर कोटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

16. अब 17-12-1994 की संशोधित अधिसूचना पर आते हुए, यह कहता है कि "सभी मेडिकल कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों की कुल सीटों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाए।" इन शब्दों की व्याख्या दलों द्वारा दो अलग-अलग तरीकों से की जा रही है; एक कहता है कि यह समग्र आरक्षण है जबकि दूसरा कहता है कि यह विभाजित है। पैरा 2 में कहा गया है कि उपरोक्त विशेष श्रेणियों के तहत चयनित उम्मीदवारों को अनुसूचित श्रेणियों के तहत रखा जाएगा।

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य जिनसे वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि आरक्षण के आधार पर चुने गए स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे इस पुष्टि के रूप में पढ़ने की मांग की जाती है कि यह विभाजित आरक्षण का मामला है। हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिसूचना जारी करते समय सरकार को [2020] 11 एस. सी. आर. के अंतर की जानकारी नहीं थी।

समग्र क्षैतिज आरक्षण और कम्पार्टमेंटल क्षैतिज आरक्षण के बीच। किसी भी तरह से, हो सकता है कि उसके चिंतन में ऐसी स्थिति न रही हो जो अब उत्पन्न हुई है। संभवतः यही कारण है कि इस पहलू को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

17. यह बेहतर होता और उत्तरदाता अपने भविष्य के मार्गदर्शन के लिए इस पर ध्यान दे सकते हैं-कि क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते समय, उन्हें यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्षैतिज आरक्षण एक कंपार्टमेंटल है या समग्र है। वास्तव में, यह मान लेना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश

महिलाओं के पक्ष में आरक्षण एक "कम्पार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल आरक्षण" होना था। हमारी राय है कि किसी भी जटिलता और जटिल समस्याओं से बचने के हित में, यह बेहतर होगा कि भविष्य में क्षैतिज आरक्षण ऊपर बताए गए अर्थ में विभाजित। दूसरे शब्दों में, आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में न केवल क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक सामाजिक आरक्षण में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निर्दिष्ट होनी चाहिए।

आरक्षण श्रेणी पूर्वाग्रह से पीड़ित है जैसा कि इस मामले में हुआ है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विशेष आरक्षण के लिए 112 सीटों में से 110 सीटें आयोजन समिति से छीन ली गई हैं। अकेले श्रेणी-और कोई भी ओ. बी. सी. या उस मामले के लिए, एससी या एसटी से नहीं। यह किसी दिए गए मामले में दूसरे तरीके से भी हो सकता है।

वर्ष। 18. अब, सीटों को भरने के लिए संशोधित अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की शुद्धता पर आते हुए, पंद्रह प्रतिशत विशेष आरक्षण सीटों को पहले भरने और फिर ओ. सी. (योग्यता) कोटा (ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. कोटा भरने के बाद) लेने का निर्देश देना गलत था। उचित और सही तरीका यह है कि पहले योग्यता के आधार पर ओ. सी. कोटा (50 प्रतिशत) को भरा जाए; फिर यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. को भरा जाए।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा, अर्थात एससी, एसटी और बीसी; द.

तीसरा कदम यह पता लगाना होगा कि कितने उम्मीदवार संबंधित हैं

उपरोक्त आधार पर विशेष आरक्षण का चयन किया गया है। अगर

क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही संतुष्ट है - यदि यह एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है-कोई और सवाल नहीं

उनके संबंधित सामाजिक आरक्षण के खिलाफ समायोजित किया गया संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर श्रेणियाँ

वहाँ से। ( यदि, हालांकि, यह कम्पार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल का मामला है

आरक्षण, फिर सत्यापन और समायोजन की प्रक्रिया /

ऊपर बताए गए आवास को अलग से लागू किया जाना चाहिए

प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऐसे में आरक्षण

पंद्रह प्रतिशत विशेष श्रेणियों के पक्ष में, कुल मिलाकर, हो सकता है

संतुष्ट रहें या संतुष्ट न हों।) क्योंकि संशोधित

सीटों को भरने के एक अलग तरीके के लिए अधिसूचना प्रदान की गई, यह

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आंशिक रूप से योगदान दिया है जहां पूरे

विशेष आरक्षण कोटा आवंटित किया गया है और लगभग समायोजित किया गया है। विशेष रूप से ओ. सी. कोटे के खिलाफ "।

( जोर दिया गया)

(घ) राजेश कुमार दरिया आदि में। बनाम राजस्थान लोक सेवा

मिशन और अन्य 1 4, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच के अंतर को कम कियादेरः

" 8. हम विचार करने से पहले दो संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख कर सकते हैं।

इस मामले के तथ्य। पहला क्षैतिज वर्णन के बारे में है।

आरक्षण। उदाहरण के लिए, यदि 200 रिक्तियां हैं और 15 प्रतिशत है

महिलाओं के लिए, आरक्षित पदों की संख्या का उचित विवरण एससी के लिए, होना चाहिएः " एससी के लिएः 30 जिन पदों के लिए 9 पद हैं

स्त्रियाँ "। हम पाते हैं कि कई बार इसका गलत वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

" एससी के लिएः 21 सभी 30 पदों पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 पद हैं।

99

जाहिर है, कोई आरक्षण श्रेणी नहीं है और नहीं भी हो सकती है।

“ पुरुष "या" पुरुष "। 9. दूसरा प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है

ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। सामाजिक आरक्षण

अनुच्छेद 16 (4) के तहत एससी, एसटी और ओ. बी. सी. के पक्ष में "ऊर्ध्वाधर" हैं।

आरक्षण "। भौतिक रूप से पक्ष में विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत विकलांग, महिलाएँ आदि हैं - " क्षैतिज आरक्षण "। जहाँ ऊर्ध्वाधर आरक्षण किया जाता है

अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में, उम्मीदवार

ऐसे पिछड़े वर्ग से संबंधित, गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है। खुला प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत चुने गए लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार और उपलब्ध होगा। ( वीडिय इंद्र साहनी ", आर. के.

सभरवाल बनाम। पंजाब राज्य ", भारत संघ बनाम। विरपाल सिंह चौहान 1 6 और रितेश आर. साह बनाम। डॉ. वाई. एल. यमुल 1 7.) लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू उपरोक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा। जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरने और फिर उनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाने की उचित प्रक्रिया है जो "अनुसूचित जाति महिलाओं" के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को सूची के निचले भाग से हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या लेनी होगी। इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है।

आरक्षण। इस प्रकार महिलाओं का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध आरक्षण कोटा गिना जाएगा।

महिलाओं के लिए। आइए हम एक उदाहरण से समझाते हैं:

यदि 19 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं (जिनमें से महिलाओं के लिए कोटा चार है), तो सफल योग्य उम्मीदवारों में से 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार पहले सूचीबद्ध करना होगा। यदि 19 उम्मीदवारों की ऐसी सूची में चार अनुसूचित जाति के हैं। महिला उम्मीदवार, तो किसी भी आगे अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार को शामिल करके सूची में गड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, अगर 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में केवल दो महिलाएँ हैं

उम्मीदवार, फिर अगले दो अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार

योग्यता के अनुसार, सूची में शामिल करना होगा और ऐसी सूची के नीचे से उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम 19

6 ) 3 एस. सी. सी. 253 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

( लेकिन अगर 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में चार से अधिक हैं महिला उम्मीदवारों का चयन अपनी योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

सूची में बने रहें और अतिरिक्त को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है

महिला उम्मीदवार इस आधार पर कि "अनुसूचित जाति महिलाएँ"

चार के निर्धारित आंतरिक कोटे से अधिक में चुना गया)।

10. इस मामले में, चयनित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

" सामान्य श्रेणी की महिलाएँ "। इसलिए आगे की कोई आवश्यकता नहीं थी। विशेष आरक्षण के तहत महिला उम्मीदवारों का चयन

महिलाएँ। लेकिन आरपीएससी ने जो किया वह केवल पहले 48 उम्मीदवारों को लेना था। योग्यता के क्रम में (जिसमें 11 महिलाएँ थीं) और उसके बाद,

सामान्य श्रेणी के तहत अगले 11 पदों को महिलाओं से भरें। उम्मीदवार। परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि 59 सामान्य श्रेणियों में से

ग्यारह महिलाओं सहित सभी 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

नं. 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 19 , 21 , 25 , 31 , 35 और चयन सूची के 41) और अन्य ग्यारह (एस. एल. में उम्मीदवार। नं. 54 , 61 , 62 , 63 , 66 , 74 , 75 ,

77 , 78 , 79 और चयन सूची के 80) आरक्षण के तहत शामिल हैं।

"सामान्य श्रेणी की महिलाओं" के लिए कोटा। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। आर. पी. एस. सी. द्वारा किए गए चयन की प्रक्रिया का इलाज करने के बराबर है

20 % महिलाओं के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में आरक्षण, इसके बजाय

ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर एक क्षैतिज आरक्षण होना।

11. इसी तरह, हम पाते हैं कि ओ. बी. सी. के लिए 24 पदों के संबंध में, 19

ओ. बी. सी. उम्मीदवारों में तीन महिला उम्मीदवार शामिल थीं। इसके बाद इस श्रेणी के तहत पांच और महिलाओं का चयन किया गया।

"ओ. बी. सी. महिलाओं" का, केवल दो को जोड़ने के बजाय जो था

कमी। इस प्रकार सभी 8 महिला उम्मीदवारों में

24 चयन सूची में ओ. बी. सी. उम्मीदवार पाए जाते हैं। उचित पाठ्यक्रम

योग्यता के अनुसार 24 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करना था और फिर पता लगाना था

महिला उम्मीदवारों की संख्या, और केवल कमी को भरें महिलाओं के लिए पाँच का कोटा बनाना। ”

( जोर दिया गया)

ई) के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनाम भारत संघ में

अन्य 1 8, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें नहीं हैं

अगर किसी को यह अनुमान लगाना है कि क्या 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन हुआ है। अवलोकन इस प्रकार थेः

" 44. चुनौती दिए गए राज्य कानूनों के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि उनमें से अधिकांश के तहत 50 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं किया जाएगा क्योंकि इस उद्देश्य के लिए केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण (यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सांप्रदायिक आधार पर) पर विचार किया जाता है। भले ही निर्वाचित स्थानीय निकायों में महिलाओं के पक्ष में 33 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन यह क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति में है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ जुड़ता है। ऐसे परिदृश्य में, सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं द्वारा कब्जा की गई सीटों की गणना यह पता लगाने के उद्देश्य से नहीं की जा सकती है कि क्या 50 प्रतिशत ऊपरी सीमा है या नहीं। उल्लंघन किया गया है।

.....

64. स्थानीय स्वशासन में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, मूल नियम आनुपातिक आरक्षण का है। हालाँकि, हमें इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के संबंध में 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा (मात्रात्मक सीमा) का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस ऊपरी सीमा के उल्लंघन के सवाल पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलें थोड़ी गलत थीं क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया गया था। यह स्पष्ट रूप से स्थिति की गलतफहमी थी क्योंकि

महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण का उद्देश्य है

एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ छेद करें, क्योंकि बाद की श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों का एक तिहाई उसी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है। इसका मतलब है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें

अगर किसी को यह पता लगाना है कि ऊपरी छत है या नहीं तो इसका हिसाब नहीं है

50 प्रतिशत का उल्लंघन किया गया है।

च) लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल आदि में। बनाम ममता और अन्य ", उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार कि एक नीतू अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में माने जाने की हकदार थी क्योंकि उसे आरक्षित सीटों के खिलाफ नहीं गिना जा सकता था।रांचल महिला "श्रेणी; चुनौती के तहत थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को खारिज कर दिया

विंग टिप्पणियाँः

0 ) 12 एस. सी. सी. 204 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

" 3. 42 पदों में से 26 सामान्य श्रेणी और 16 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए थे। कुछ महिला उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी में किया गया था जबकि अन्य को उत्तरांचल के निवासियों के रूप में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया था। प्रत्यर्थी 1, उत्तरांचल के उच्च न्यायालय में 2003 की 780 (एम/बी) की प्राथमिकता वाली रिट याचिका में मुख्य रूप से इस आधार पर चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई है कि उत्तरांचल से संबंधित महिला उम्मीदवारों ने उन्हें सामान्य श्रेणी में चयन के योग्य बनाने के लिए अंक प्राप्त किए थे और यदि ऐसा किया जाता, तो उत्तरांचल की महिला होने के नाते प्रत्यर्थी 1 को आरक्षित श्रेणी में चुना जा सकता था। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि कुछ महिला उम्मीदवार जिन्होंने न केवल क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया है, बल्कि उक्त लाभ देते हुए चुनी गई हैं, उन्होंने आवेदन पत्र भरने के समय अपना अधिवास प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाद में उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और इसे स्वीकार कर लिया गया।

4. उच्च न्यायालय ने चयन के अभिलेख की जांच करने के बाद प्रतिवादी 1 की पहली प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंतिम चयनित महिला उम्मीदवार, जिसे उत्तरांचल की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया था, ने सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे। इस प्रकार, उक्त उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी की रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया जाना चाहिए था और प्रतिवादी 1 को उत्तरांचल की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी। इसलिए, ये अपीलें। 13. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर अनुमति दी कि क्षैतिज आरक्षण को भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (सामाजिक) के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में लागू किया जाना है जैसा कि उसने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीतू जोशी (क्र. नंबर 9, रोल नंबर 12320) उत्तरांचल महिला सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित पांच सीटों के खिलाफ प्रतिवादी 3/आयोग द्वारा गलत तरीके से गिना गया है क्योंकि उन्होंने सामान्य उम्मीदवार के रूप में अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ा है और पांचवें उम्मीदवार के रूप में याचिकाकर्ता को उत्तरांचल महिला सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए गिना जाना चाहिए था। मान लीजिए, उक्त नीतू जोशी को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। बार में यह कहा गया है कि अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त आवेदन को कभी भी अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय के समक्ष कुछ सफल उम्मीदवारों को शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन आवेदनों को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

. क्षैतिज आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

दासता राजेश में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

उमर दरिया बनाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग 1 4,

इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः ( एससीसी

पी। 790-91 , पैरा 9)

" 9. दूसरा प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है

ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। सामाजिक अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण

16 ( 4 ) 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' हैं। पक्ष में विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 16 (1) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं आदि के लिए

या 15 (3) 'क्षैतिज आरक्षण' हैं। जहाँ एक ऊर्ध्वाधर

अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण दिया जाता है।

16 ( 4 ) , ऐसे पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार,

गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करें और यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है गैर-आरक्षित पद अपनी योग्यता के आधार पर, उनकी संख्या होगी

संबंधित के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा

पिछड़ा वर्ग। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की संख्या,

जो अपनी योग्यता से प्रतियोगिता शुरू करने के लिए चुने जाते हैं

रिक्तियां, पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित, यह नहीं कहा जा सकता है कि

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा जा चुका है। पूरा आरक्षण

अनुसूचित के लिए कोटा भरने के लिए सबसे पहले उचित प्रक्रिया है योग्यता के क्रम में जातियाँ और फिर संख्या का पता लगाएं

उनमें से उम्मीदवार जो विशेष आरक्षण से संबंधित हैं

आरक्षण कोटा, फिर आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है विशेष आरक्षण कोटा की ओर। केवल अगर कोई है

कमी, अनुसूचित जाति की महिलाओं की अपेक्षित संख्या

अनुसूचित से संबंधित सूची के निचले भाग से उम्मीदवार जातियाँ। इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण

ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है। इस प्रकार स्त्रियाँ

ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुना जाएगा

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना गया।

( जोर दिया गया)

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश राजेश कुमार दरिया मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। फैसला और

यहाँ आक्षेपित आदेश को अलग रखा जा सकता है और सभी

परिणामी आदेश अप्रवर्तनीय और अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस प्रकार, अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है। 2003 (एम/बी) की रिट याचिका संख्या 780 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 26-10-2005 के निर्णय और आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं। "

19. राजेश कुमार दरिया आदि का अनुच्छेद 9। बनाम राजस्थान

लोक सेवा आयोग और अन्य 1 4 ने इस सुस्थापित सिद्धांत का उल्लेख किया कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार, अपनी योग्यता के आधार पर, मुक्त या सामान्य श्रेणी में चुने जाने का हकदार है और ऐसी स्थिति में उसका चयन नहीं किया जाता है। ऐसी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे के विरुद्ध गिना जाएगा। हम स्पष्टता के लिए रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. में निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। यमुल और अन्य 1 7 ने इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 1 1 और आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य 1 5 में बड़ी पीठ के फैसलों का उल्लेख किया और कहाः

" 13. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है तो इस तरह के प्रवेश को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिए। आरक्षित श्रेणी क्योंकि यह संवैधानिक के खिलाफ होगी

अनुच्छेद 16 (4) में निहित जनादेश।

14. एक मामले में इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ "आम तौर पर

मंडल मामले के रूप में जाना जाता है, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः ( एस. सी. सी पी. 735 , पैरा

811 )

" इस संबंध में यह याद रखना अच्छा है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि कुछ सदस्य कहते हैं,

खुली प्रतियोगिता के मैदान में अनुसूचित जातियों का चयन उनकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाता है; उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा; उनके साथ व्यवहार किया जाएगा।

खुली प्रतियोगिता के उम्मीदवारों के रूप में "।

15. आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य का संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने नियुक्ति और पदोन्नति और आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिंदुओं के प्रश्न पर विचार किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

( एस. सी. सी पी. 750, पैरा 4)

" जब किसी विशेष संवर्ग के संबंध में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और रोस्टर आरक्षित अंकों को इंगित करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं पर दिखाए गए पद [2020] 11 एस. सी. आर. हैं।

आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरे जाने वाले और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) राज्य सरकार को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछड़े वर्ग/वर्ग

जिसमें आरक्षण किया गया है, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य सेवाएँ। ऐसा करते समय राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल आबादी और राज्य सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व को ले सकती है। जब राज्य सरकार आवश्यक अभ्यास करने के बाद आरक्षण करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है तो प्रतिशत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत को केवल इसलिए बदला या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के खिलाफ नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु को उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। किसी भी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर में एक स्थान के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के मुकाबले काफी संख्या में पिछड़े वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/पदोन्नति राज्य सरकार के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए लेकिन जब तक कि निर्देश/नियम कुछ निश्चित प्रदान करते हैं

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत है -

संचालन उसी का पालन करना होगा। पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी संख्या में नियुक्तियों/पदोन्नति के बावजूद

सामान्य श्रेणी के पदों के लिए दिया गया प्रतिशत

इसके अतिरिक्त प्रदान किया जाए। "



5. भारत संघ में v. विरपाल सिंह चौहान 1 (एस. सी. सी. पी. 05) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों की संख्या निर्धारित करते समय, यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

आरक्षित श्रेणी से संबंधित लेकिन योग्यता के नियम पर चयनित/पदोन्नत उम्मीदवार (और आरक्षण के नियम के आधार पर नहीं)

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में नहीं गिना जाएगा।

20. हालाँकि, ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्णय में इस बात पर विचार करने का कारण नहीं था कि क्या पूर्ववर्ती पैराग्राफ में लाल रंग के निर्णयों में कहा गया सिद्धांत क्षैतिज परिवर्तन के मामलों पर भी लागू होता है। हम, इस स्तर पर, कुछ निर्णयों पर विचार कर सकते हैं

अदालतें, जो इस प्रश्न से निपटती हैंः

ए) मेघा शेट्टी बनाम राजस्थान राज्य में 2, निम्नलिखित

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा टीकाकरण किया गया थाः

" 21. ..... एक बार सामान्य/खुली श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण लागू होने के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवार भी सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित उक्त पदों के खिलाफ विचार किए जाने के हकदार हैं।

( महिला)।

23. वर्तमान मामले में, विज्ञापन (अनुलग्नक-3) के हिस्से पर एक नंगे नज़र से यह स्पष्ट है कि 13 पद ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित थे। परिणाम-पत्रक (अनुलग्नक-4) से यह देखा गया है कि 42 अनारक्षित सीटों में से 4 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली और, इसलिए, उन्हें महिलाओं के लिए प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना गया और उसके बाद, 9 और महिला उम्मीदवारों को

उनकी योग्यता का क्रम चुना गया जिसमें उम्मीदवार शामिल थे।

सामान्य के साथ-साथ ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित। यह भी देखा गया है कि मुख्य सूची में, ओ. बी. सी. (महिला) से संबंधित 3 महिला उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के आधार पर जगह मिली और सामान्य (महिला) श्रेणी के खिलाफ 9 उम्मीदवार लेने के बाद, जिसमें ओ. बी. सी. (महिला) भी शामिल थी, इस तथ्य के बावजूद कि 5 पद ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित थे, 2 पदों के लिए आगे आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

( महिला), जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्षैतिज आरक्षण सही ढंग से लागू किया गया था। 24. अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में याचिका दायर करने की मांग की गई

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत विशेष आरक्षण के मामले में ओ. बी. सी. (महिला) से सामान्य (महिला) में पलायन के लिए अक्षमता भी स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि एक बार ओ. बी. सी. (महिला) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार ने सामान्य (महिला) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं और इसलिए, सामान्य (महिला) के लिए चुनी गई सूची में जगह पा ली है, इसे प्रवासन भी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, याचिका में कहा गया है

इस संबंध में कोई सार नहीं है "।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए-1) राजस्थान की नीलम शर्मा राज्य और Ors.[21] 21 में उपरोक्त निर्णय का पालन उसी उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था जो निम्नानुसार है:

" 6. जोधपुर में इस उच्च न्यायालय की खंड पीठ श्रीमती. मेघा शेट्टी बनाम राजस्थान राज्य 2014 खंड (1) डब्ल्यू. एल. सी. (राजस्थान) 761 पहले ही वर्तमान अपीलों में उठाए गए ठीक उसी मुद्दे पर विचार कर चुका है। डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त-संदर्भित फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा है कि सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने पर ओ. बी. सी. श्रेणी की महिला उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन सूची में स्थान मिलने की स्थिति में, इसे प्रवास के रूप में नहीं माना जा सकता है। और डिवीजन बेंच का यह निर्णय हम पर बाध्यकारी है जिसके साथ हम भी पूरी तरह से बाध्य हैं

सहमत हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी रिट याचिकाकर्ता /

यहाँ उत्तरदाता जो सामान्य श्रेणी की महिलाएँ हैं खुली श्रेणी में चयनित ओ. बी. सी. श्रेणी की महिला उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार महिला उम्मीदवारों की चयन सूची सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के अनुसार है।

2016 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 4312, जिससे उत्पन्न हुई थी

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 13.05.2016 पर टिप्पणी की गई:

" आधिकारिक अनुवाद दाखिल करने से छूट की मांग करने वाले आवेदन की अनुमति है। हम यहाँ आक्षेपित क्रम में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। "

बी) आशा में रामनाथ घोलप बनाम। अध्यक्ष, जिला

समिति/कलेक्टर 22, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विचार किया

मुकदमा निम्नानुसार करें -

" 30. हम ऊपर दिए गए तर्क को गलत पाते हैं। एक बार जब यह माना जाता है कि सामान्य श्रेणी या खुली श्रेणी सभी श्रेणियों से संबंधित सभी उम्मीदवारों को उनकी जाति, वर्ग या समुदाय या जनजाति की परवाह किए बिना जीतती है, तो यह अप्रासंगिक है कि प्रदान किया गया आरक्षण ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज। 'खुली श्रेणी' शब्दों की दो व्याख्याएँ नहीं हो सकतीं-एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए और दूसरी क्षैतिज आरक्षण के लिए लागू होती है।

निर्धारित आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर' या 'क्षैतिज' हो सकता है यदि यह खुली श्रेणी से संबंधित है, तो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को बाकी उम्मीदवारों के साथ अपनी योग्यता के आधार पर उक्त पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका जा सकता है।

5 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 1391 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1623 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

32. ..... इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब खुली श्रेणी से संबंधित महिला उम्मीदवारों द्वारा तीन पदों को भरने के लिए अधिसूचित किया गया था, तो यह याचिकाकर्ता के लिए उक्त पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुला था, इस तथ्य के बावजूद कि वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और जब उसने महिला उम्मीदवारों में मेधावी स्थिति हासिल की थी और दूसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया था, तो उसके चयन को उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित है।

अनुसूचित जाति और खुली श्रेणी में नहीं आती है।

बी-1) कंचन में विश्वनाथ जगतप बनाम महाराष्ट्र

न्यायिक न्यायाधिकरण, नागपुर और अन्य 3, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" हमारा विचार है कि यदि विद्वत न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जो इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए अनुज्ञेय नहीं है। बस।

क्योंकि महिला श्रेणी के सभी मेधावी उम्मीदवार ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. जैसी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित, हमारे विचार में उन्हें उनके लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है।

मेधावी स्थिति। हम पाते हैं कि यदि विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह संवैधानिक जनादेश को विफल कर देगा जैसा कि इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में समझाया गया है। ऐसी स्थिति होगी कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित एक पुरुष उम्मीदवार एक खुली श्रेणी के पद के खिलाफ चुने जाने का हकदार होगा यदि वह अपनी योग्यता के आधार पर हकदार है। हालांकि, आरक्षित श्रेणी से संबंधित एक महिला उम्मीदवार, भले ही वह खुली श्रेणी की महिलाओं से संबंधित उम्मीदवार की तुलना में बहुत अधिक मेधावी हो, उक्त पद के खिलाफ चुने जाने की हकदार नहीं होगी। प्रभावी रूप से उक्त स्थिति के परिणामस्वरूप महिला आरक्षित उम्मीदवारों के साथ पुरुष आरक्षित उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की अनुमति दी जाएगी उम्मीदवार। हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति संवैधानिक योजना के तहत अनुज्ञेय नहीं है जैसा कि संविधान पीठ द्वारा व्याख्या की गई है।

इंद्र साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय "।

बी-2) तेजस्विनी रघुनाथ गालांडे बनाम चरिमन में,

राष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई और अन्य 24,

उच्च न्यायालय ने तथ्यों को निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" विद्वान न्यायाधिकरण के निर्णय पर भरोसा करते हुए

राजेश कुमार दरिया बनाम सर्वोच्च न्यायालय के मामले में। राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य। 11 4, ने अभिनिर्धारित किया कि

6 ) 1 माहा। एल. जे. 934 9) 4 माह एल. जे. 527 [2020] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1-एम. पी. एस. सी. की कार्रवाई,

जो एन. टी. के हैं। (ग.) श्रेणी, आवेदक को 'मुक्त महिला श्रेणी' के खिलाफ कोटा से आवेदन करने की अनुमति नहीं देने में दोष नहीं दिया जा सकता था और इस तरह विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान

याचिका दायर की गई है "।

आशा रामनाथ घोलप 22 में लिए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए और

हन विश्वनाथ जगतप 2, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया

और न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया।बी-3) चारुशिला बनाम महाराष्ट्र राज्य में, राज्य के लिए महाधिवक्ता की दलीलें निम्नानुसार दर्ज की गईं:

" 13. विद्वान महाधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि कानून में कोई अलग श्रेणी नहीं है, जिसे "खुली श्रेणी" के रूप में मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले, शिक्षा के मामले में, उनके रंग यानी श्रेणी की परवाह किए बिना, सभी सीटों और रोजगार के मामले में सभी पदों को, जैसा भी मामला हो, एक साथ लिया जाना चाहिए। उसी से और उससे बाहर, आरक्षित पदों/सीटों को निकाला जाना है और जो बचा है उसे आमतौर पर 'खुली श्रेणी' या 'खुली प्रतिस्पर्धा श्रेणी' सीटों के रूप में जाना जाता है। 14. उनके अनुसार, एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, चाहे वह ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज के रूप में इस तरह के आरक्षण का दावा करता हो, हमेशा खुले स्थान से सीट का दावा करने का हकदार है।

उसकी योग्यता के आधार पर श्रेणी। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि खुली श्रेणी या कोटा केवल योग्यता के आधार पर आवंटित किया जाता है और इसलिए, इस तरह के आवंटन में, किसी भी उम्मीदवार से संबंधित जाति, पंथ या लिंग या कोई अन्य मानदंड, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है।

15. विद्वान महाधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार सुरक्षित करने में सक्षम है

सीट का आवंटन, केवल उसकी योग्यता और योग्यता के आधार पर, इस तरह के आवंटन में उस श्रेणी के लिए आरक्षित किसी भी सीट का उपभोग नहीं किया जा सकता है, जिससे ऐसा उम्मीदवार संबंधित है। ऐसे मामले में, इस तरह का आवंटन, किसी भी तरह से, उस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों या पदों को कम नहीं करता है, जिसके लिए मामला हो सकता है।

ऐसा उम्मीदवार संबंधित है।

18. वह यह भी प्रस्तुत करता है कि हालांकि, के मामले में भी

' कम्पार्टमेंटलाइज्ड 'हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सीटें जो खुली श्रेणी या कोटे के लिए आवंटित की जाती हैं, हर किसी द्वारा दावा किया जा सकता है और कोई भी जो मूल रूप से एक सीट या पद का दावा करने का हकदार है, जैसा भी मामला हो, खुली श्रेणी से, जो स्पष्ट रूप से होगा और

ओ एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1519 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

पाठ्यक्रम में, खुली श्रेणी की योग्यता सूची से प्रत्येक उम्मीदवार को शामिल करें, यानी सभी उम्मीदवार जो किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हों, जो भी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हो। "

राज्य की दलीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 33. जहाँ तक क्षैतिज आरक्षण का संबंध है, एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसे उपरोक्त अनुच्छेद में दर्ज किया गया है। कम गिरावट की स्थिति में, योग्यता सूची के अवलोकन के बाद, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में इस तरह की कम गिरावट को संबंधित आरक्षित श्रेणियों से अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को हटाकर और उन्हें उसी श्रेणी से प्रतिस्थापित करके पूरा किया जाएगा। इस प्रकार, ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुने गए क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार को क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के खिलाफ गिना जाएगा।

41. कम्पार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के मामले में भी,

जो सीटें खुली श्रेणी या कोटे के लिए आवंटित की जाती हैं, उन पर कोई भी और हर कोई दावा कर सकता है, जो योग्यता के आधार पर सीट या पद का दावा करने का हकदार है, जिसमें खुली श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार भी शामिल होंगे, यानी सभी उम्मीदवार जो किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, जो भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो। तथापि, एकमात्र अपवाद बनाया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्धारित किया गया है कि यदि लागू नियम या

विज्ञापन विशेष रूप से इसके विपरीत प्रदान करता है, इस तरह के प्रवास की अनुमति आरक्षित श्रेणी से खुली श्रेणी में खुली श्रेणी के लिए प्रदान किए गए कम्पार्टमेंट आरक्षण का दावा करने के लिए नहीं दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे उम्मीदवार, जिन्हें चयन प्रक्रिया के दौरान पहले ही लाभ मिल चुके हैं, जैसे कि शुल्क में रियायत, आयु में छूट, योग्यता मानदंडों में छूट, आरक्षित श्रेणी से खुली श्रेणी में प्रवास के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

सीट या पोस्ट "।

बी-4) शांताबाई लक्ष्मण डोइफोडे बनाम स्टेट ऑफ

2, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

..... हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्धारित कानून और वनों वाले मामलों में चर्चा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा एन. टी. के लिए आरक्षित पद पर चुने जाने के बावजूद। (घ.) श्रेणी, याचिकाकर्ता अभी भी वैध रूप से खुले के तहत उपलब्ध पद के लिए अपना दावा कर सकती है।

श्रेणी और न केवल यह कि वह क्षैतिज रूप से एक पद पर भी ऐसा कर सकती थी

खुली श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित। वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि तीन सूचीबद्ध महिला उम्मीदवारों में से, याचिकाकर्ता ने शीर्ष स्कोरर, श्रीमती के बाद दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया था। प्रिया नरेश गजभिये। जबकि श्रीमती. प्रिया नरेश गजभिये, एक एस. सी. उम्मीदवार, का चयन उनकी योग्यता के आधार पर, खुली (महिला) श्रेणी के लिए आरक्षित दो पदों में से एक के लिए किया गया था, याचिकाकर्ता हालांकि कानून की तय स्थिति को देखते हुए पात्र था, लेकिन दूसरे पद के लिए नहीं था। श्रीमती के चयन के लिए जमीन दी गई है। प्रिया नरेश गजभिये और याचिकाकर्ता को अस्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि श्रीमती. प्रिया नरेश गजभिये एस. सी. श्रेणी से थीं, उन्होंने खुली श्रेणी का विकल्प चुना था जबकि याचिकाकर्ता ने नहीं चुना था। यह आधार कानून में मान्य नहीं है जैसा कि हमने देखा है

जिन निर्णयों पर पहले चर्चा की गई थी।

ग) उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक अन्य बनाम रंजीता राणा और एक अन्य उच्च न्यायालयअखंड ने सुधीर कुमार बनाम राज्य में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया।

ताराखंड और अन्य 28 ने कहाः

" 11. प्रत्येक श्रेणी के तहत प्रदान किए जा रहे क्षैतिज आरक्षण का प्रभाव यह है कि केवल महिलाएँ, जो अन्य पिछड़े वर्गों (महिलाओं) से संबंधित हैं, अन्य पिछड़े वर्गों (महिलाओं) के लिए आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, न कि महिलाएँ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित वर्ग से संबंधित हैं।

श्रेणी। इसी तरह, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही अनुसूचित जाति (महिला) और अनुसूचित जनजाति (महिला) के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। एक महिला, जो आरक्षित श्रेणी (ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी.) से संबंधित नहीं है, अन्य पिछड़े वर्गों (महिलाओं), अनुसूचित जातियों (महिलाओं) और अनुसूचित जनजातियों (महिलाओं) के पक्ष में आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हकदार नहीं है।

12. हालाँकि, इसका उल्टा सच नहीं है। सभी महिलाएं, चाहे वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित हों या नहीं, सामान्य श्रेणी के तहत महिलाओं के पक्ष में निर्धारित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हकदार हैं। सामान्य श्रेणी में पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण सभी महिलाओं के बीच से भरने के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी जाति की स्थिति कुछ भी हो। सामान्य श्रेणी (महिला) के पक्ष में आरक्षित पद उत्तराखंड राज्य की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं और इसमें आरक्षित श्रेणियों जैसे कि ओ. बी. सी., एस. सी. से संबंधित महिलाएं शामिल होंगी।

ओ एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 481

2017 की याचिका (एस/बी) No.392 दिनांक 11.12.2018 यूआरएवी यादव और ओआरएस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

और एसटी, और जो महिलाएं नहीं करती हैं। अन्यथा, उन लोगों के पक्ष में आरक्षण की गुप्त शुरुआत होगी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं हैं, और सांप्रदायिक आरक्षण के एक प्रच्छन्न प्रयास को मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। चंपकम दोराईराजन और एक अन्यः ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 226 यह सवाल नहीं है।

एकर एकर एकर

चरण में, महिलाओं की शेष संख्या को उपरोक्त सूची से योग्यता के आधार पर शामिल किया जाना है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, जबकि पहले 60 उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे से पुरुष उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटा दिया जाता है। इसके बाद, समान अभ्यास करने की आवश्यकता होती है

ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लागू करना, उसके बाद क्षैतिज

2018 के आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 18968 आदि में 2019 का पी. ए. No.1910।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ई. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. श्रेणियों से संबंधित पदों के संबंध में आरक्षण।

49. यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 2 (डी) एक चौथा बनाने का प्रयास करता है। पदों की श्रेणी, जिनके पक्ष में पद आरक्षित नहीं हैं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से

पिछड़े वर्ग। दूसरे शब्दों में, यह चौथी श्रेणी कुछ भी नहीं है।

लेकिन पदों की एक खुली श्रेणी, जिसमें आरक्षित पदों को छोड़कर

उपरोक्त संदर्भित वर्गों के पक्ष में अर्थात आरक्षित पदों के लिए खुली श्रेणी में महिलाएं पदों से ऊपर और ऊपर होंगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एस. ई. बी. सी. कोटे में महिलाओं के लिए आरक्षित, जैसा कि में संदर्भित है

उक्त नियमों के नियम 2 (ए), 2 (बी) और 2 (सी)। इस प्रकार, सभी गुणवान

उम्मीदवार, चाहे वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित हों या

अनारक्षित श्रेणी, चाहे जो भी हो, श्रेणी द्वारा कवर की जाएगी।

ध्यान में रखते हुए, ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लागू करते समय और साथ ही उसी के भीतर क्षैतिज आरक्षण। यह उल्लेखनीय है कि

गुजरात सिविल सेवा (के लिए पदों का आरक्षण)

महिला) (संशोधन) नियम, 2014, आरक्षण की आवश्यकता

महिलाओं के पक्ष को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया।

50. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि सरकारी संकल्प दिनांकित है 01.08.2018 जी. ए. डी. को रद्द करके अलग रखा जाना चाहिए, और

इसे निरस्त कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

उच्च न्यायालय ने तब कहाः

" 56. राज्य सरकार के भविष्य के मार्गदर्शन के लिए, हम

लागू करने के उचित और सही तरीके की व्याख्या करना पसंद करते हैं।

महिलाओं के लिए अधिक स्पष्ट तरीके से क्षैतिज आरक्षण।

" लागू करने की सही और सही विधि

महिलाओं के लिए आंतरिक संरक्षण। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या।

.....

100

सामाजिक आरक्षण (49 प्रतिशत)

खुली प्रतियोगिता (ओसी)

.....

51

अनुसूचित जाति (एससी)

.....

. 12

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

.....

. 17

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एस. ई. बी. सी.)

.....

. 20

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण (प्रत्येक में 33 प्रतिशत)

ई श्रेणियाँ)

ओसी

17

एससी

04 एडीएवी और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और

ओआरएस। [ उदय उमेश ललित, जे।]

06

07

कम से कम 100 उम्मीदवारों की सूची बनाएँ (आमतौर पर एक सूची)।

100 से अधिक उम्मीदवारों को तैयार किया जाता है ताकि योग्यता के क्रम में चुने जाने के लिए योग्य नियुक्तियों की कमी न हो जब कुछ उम्मीदवार प्रस्ताव के बाद शामिल नहीं होते हैं। इस सूची में उपरोक्त सभी श्रेणियों के उम्मीदवार शामिल होंगे।

उपरोक्त चरण 1 सूची से, पहली सूची बनाएँ।

51 ओ. सी. कोटा (51) भरने के लिए उम्मीदवार

योग्यता। 51 उम्मीदवारों की इस सूची में एससी, एसटी और एसईबीसी से संबंधित उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। ओ. सी. कोटे में क्षैतिज आरक्षण की जाँच करें। ओ. सी. श्रेणी की चरण 2 सूची में, यदि 17 महिलाएं हैं (श्रेणी कोई मायने नहीं रखती), तो महिलाओं का 33 प्रतिशत कोटा पूरा किया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि महिलाओं की कमी है (मान लीजिए, चरण में केवल 10 महिलाएं उपलब्ध हैं)

2 ओसी श्रेणी की सूची), 7 और महिलाओं को जोड़ा जाना है। ऐसा करने का तरीका है, पहले, चरण 2 सूची के अंतिम 7 पुरुष उम्मीदवारों को हटा दें। इसके बाद, आइटम नं. 1 के बाद चरण 1 सूची पर जाएँ। 51 , और पहली 7 महिलाओं को चुनें ( श्रेणी से कोई फर्क नहीं पड़ता)। जैसे ही चरण 1 सूची से ऐसी 7 महिलाओं का पता चलता है, उन्हें उठाया जाना चाहिए और 7 महिलाओं की कमी को पूरा करने के लिए चरण 2 सूची में जोड़ा जाना चाहिए। अब ओ. सी. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पूरा हो गया है। ओ. सी. श्रेणी की सूची को बंद किया जाना है। चरण 2 सूची अंतिम हो जाती है।

एससी पर जाएँ। चरण 1 सूची से, मद संख्या के बाद। 51 , 12 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों (पुरुष या महिला) की सूची बनाएँ। इन 12 उम्मीदवारों में वे सभी पुरुष अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी शामिल होंगे जिन्हें महिलाओं की कमी को पूरा करने के लिए चरण 2 सूची से हटा दिया गया था।

चरण 4 सूची में क्षैतिज आरक्षण की जाँच करें।

एस. सी. से। यदि 4 अनुसूचित जाति की महिलाएँ हैं, तो 33 प्रतिशत का कोटा पूरा हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कोई अनुसूचित जाति की महिलाओं की कमी (मान लीजिए, केवल 2 महिलाएं उपलब्ध हैं), 2 और महिलाओं को जोड़ा जाना है। ऐसा करने का तरीका है, पहले, चरण 4 सूची के अंतिम 2 पुरुष अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को हटाना और फिर आइटम संख्या के बाद चरण 1 सूची से नीचे जाना। 51 , और पहली 2 अनुसूचित जाति महिलाओं को चुनें। जैसे ही चरण 1 सूची में ऐसी 2 अनुसूचित जाति की महिलाएं पाई जाती हैं, वे [2020] 11 एस. सी. आर. होंगी।

अनुसूचित जाति महिलाओं की कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति की चरण 4 सूची में लाया गया और जोड़ा गया। अब अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पूरा हो गया है। अनुसूचित जातियों की सूची को बंद किया जाना है। चरण 4 सूची अंतिम हो जाती है। यदि चरण 1 सूची में अंतिम संख्या तक 2 अनुसूचित जाति की महिलाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इन 2 रिक्तियों को अनुसूचित जाति के पुरुषों द्वारा भरा जाना है। यदि अनुसूचित जाति के पुरुष भी चाहते हैं, तो अनुसूचित जाति के सामाजिक आरक्षण कोटे को अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा कोई नियम न हो जो अनुसूचित जाति के कोटे को अनुसूचित जाति के कोटे में बदलने की अनुमति देता हो।

ओ. सी.

चरण 6: एसटी की सूची तैयार करने के लिए चरण 4 और 5 को दोहराएं।

चरण 7: एस. ई. बी. सी. की सूची तैयार करने के लिए चरण 4 और 5 को दोहराएं।

57. राज्य सरकार के साथ-साथ जी. पी. एस. सी. आने वाले समय में यह ध्यान में रखेगी कि प्रत्येक श्रेणी के तहत प्रदान किए जा रहे क्षैतिज आरक्षण का प्रभाव यह है कि केवल महिलाएं, जो अन्य पिछड़े वर्गों (महिलाओं) से संबंधित हैं, अन्य पिछड़े वर्गों (महिलाओं) के लिए आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, न कि महिलाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित श्रेणी से संबंधित हैं। इसी तरह, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं।

अनुसूचित के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करें

जाति (महिला) और अनुसूचित जनजाति (महिला)। एक महिला, जो आरक्षित श्रेणी (ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी.) से संबंधित नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हकदार नहीं है।

वर्ग (महिला), अनुसूचित जाति (महिला) और अनुसूचित जनजाति (महिला)।

58. हालाँकि, इसका उल्टा सच नहीं है। सभी महिलाएं, चाहे वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित हों या नहीं, सामान्य श्रेणी के तहत महिलाओं के पक्ष में निर्धारित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हकदार हैं। सामान्य श्रेणी में पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण सभी महिलाओं के बीच से भरने के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी जाति की स्थिति कुछ भी हो। सामान्य श्रेणी (महिलाओं) के पक्ष में आरक्षित पद, गुजरात राज्य की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, और इसमें आरक्षित श्रेणियों जैसे कि ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. से संबंधित महिलाएं और जो महिलाएँ नहीं हैं, वे शामिल होंगी। अन्यथा, उन लोगों के पक्ष में आरक्षण की गुप्त शुरुआत होगी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं हैं, और सांप्रदायिक आरक्षण के एक प्रच्छन्न प्रयास को मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। चंपकम दोराईराजन और एक अन्यः

ए. आई. आर 1951 एस. सी. 226 "। सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

21. राजस्थान, बम्बई, उत्तराखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस प्रकार उस दृष्टिकोण के विपरीत है जो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऊपर पैराग्राफ 9 से 11 में निर्दिष्ट आदेशों के अलावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अजय कुमार बनाम. यू. पी. राज्य और अन्य 3 0 आयोजितः

" उपरोक्त के लिए, हमारे विचार से, क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन में महिलाओं की अंतर-योग्यता की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि विशेष श्रेणी (महिलाओं) के आरक्षण का लाभ चाहने वाले सामाजिक रूप से आरक्षित उम्मीदवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) खुली श्रेणी में समायोजन का दावा नहीं कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अपनाया है। मध्य प्रदेश राज्य में और एक अन्य बनाम उदय सिसोद और अन्य 3 1, उच्च न्यायालय

लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम ममता बिष्ट में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया और कहा गयाः

" 18. उपरोक्त निर्णय में उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अंतिम चयनित उम्मीदवार ने अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी में रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया जाना चाहिए था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को राजेश कुमार दरिया के मामले में निर्धारित कानून के विपरीत पाया है। 1 4 एक ही है

वर्तमान मामले में स्थिति जिसमें क्षैतिज कम्पार्टमेंटलाइज्ड आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले ओ. बी. सी. पुलिस कर्मी इस आधार पर नियुक्ति का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उपरोक्त निर्णय को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

19. उच्च अंकों के आधार पर मुक्त सामान्य श्रेणी की सीट के खिलाफ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (क्षैतिज (सामाजिक) आरक्षण) की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा पहले डब्ल्यू. ए. नं. <आई. डी. 1 में ग्वालियर में इस न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आया था और खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इसे अस्वीकार्य माना था कि योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवास की अवधारणा ऊर्ध्वाधर आरक्षण में अच्छी हो सकती है, लेकिन क्षैतिज आरक्षण में यह लागू नहीं होता है। इस संबंध में खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 9. सवाल यह है कि क्या कोई उम्मीदवार जो प्रतियोगी परीक्षा देने का विकल्प चुनता है, सामान्य श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी के रूप में नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में।

एस. टी./ओ. बी. सी., जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अपनी श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए, यदि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में आने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, क्या एक उम्मीदवार ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का विकल्प चुना है आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य वर्ग में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

श्रेणी?

10. इंद्र स्वाहनी बनाम। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी.

217 ( पैराग्राफ 812), यह देखा गया है

" 812.XXXXXXXXXXXXX

11. इस प्रकार, जब कोई आरक्षण क्षैतिज होता है, तो किसी भी श्रेणी में आरक्षण के आधार पर चुने गए उम्मीदवार को उक्त श्रेणी में तय किया जाना चाहिए और उसे अन्य श्रेणी में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की अवधारणा ऊर्ध्वाधर आरक्षण में अच्छी हो सकती है लेकिन क्षैतिज आरक्षण वही लागू नहीं होता है।

12. राजेश कुमार दरिया बनाम। राजस्थान लोक सेवा

आयोग, (2007) 8 एससीसी 785: AIR 2007 SC 3127, यह किया गया है

आयोजित किया गया

" 7-8 . XXXXXXXXXXXXXXXX

13. जब उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर परीक्षण किया जाता है तो विवादित निर्णय को गलत नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। हालाँकि, मामले के दिए गए तथ्यों में हमारी राय है कि प्रवास करने में आयोग की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है

( उत्तरदाताओं नहीं। 1, 2 और 3) रुपये की लागत लगाने के लिए। 25,000 / उसमें प्रत्येक याचिकाकर्ता के पक्ष में देय। इसलिए हम

लगाई गई लागत को अलग रखें। "

20. वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच के उपरोक्त फैसले को तब ध्यान में नहीं लाया गया था जब रिट अपील का फैसला समीक्षा के तहत निर्णय द्वारा किया गया था, और एक अलग दृष्टिकोण लिया गया है जो निर्णय को समीक्षा के तहत प्रस्तुत करता है।

21. वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश ने जितेंद्र कुमार सिंह बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा है। U.P.32 की स्थिति और दीपा के मामले में ई. वी. v. भारत संघ 3 3 लेकिन ये निर्णय एससी, एसटी,

ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के ऊर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में खुली श्रेणी में प्रवास से संबंधित हैं। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां क्षैतिज आरक्षण उम्मीदवार को अनुमति दी गई है।

0 ) 3 एससीसी 119

7 ) 12 एस. सी. सी. 680 सौरव यादव और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

उनके अंकों के आधार पर खुली श्रेणी की सीट के खिलाफ नियुक्ति लेना।

22. यह सिद्धांत कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार "ओपन या जनरल" में चुने जाने के हकदार हैं। श्रेणी "अच्छी तरह से व्यवस्थित है। यह भी अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने के हकदार हैं, तो उनके चयन को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जा सकता है। इंद्र साहनी 1 1 और आर. के. सभरवाल 1 5 में इस न्यायालय के फैसलों के उद्धरणों के अलावा श्री वी. वी. गिरि बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ की टिप्पणियाँ। दिप्पाला सूरी डोरा और अन्य 34, हालांकि चुनाव कानून के संदर्भ में, काफी उल्लेखनीय हैं।

" 21. ..... हमारी राय में, सही स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई सदस्य सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ने के अपने अधिकार को केवल इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि वह इसका लाभ उठाता है।

उस उद्देश्य के लिए निर्धारित घोषणा करके आरक्षित सीट की अतिरिक्त रियायत। आरक्षित सीट के लिए पात्रता के दावे में सामान्य सीट के दावे को शामिल नहीं किया गया है; यह एक अतिरिक्त दावा है; और दोनों दावों का फैसला इस आधार पर किया जाना चाहिए कि दोहरे सदस्य से एक चुनाव है।

निर्वाचन क्षेत्र।

22. इस संबंध में हम कुछ शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें सभी उम्मीदवारों के बीच सामान्य प्रतियोगिता पर दिए जाने वाले पुरस्कारों और छात्रवृत्ति के अलावा, कुछ पुरस्कार और छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। समुदाय। ऐसे मामलों में, हालांकि पिछड़े उम्मीदवार आरक्षित पुरस्कारों और छात्रवृत्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे बाकी उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके सामान्य पुरस्कारों और छात्रवृत्ति का दावा करने से वंचित नहीं हैं।

23. राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने क्षैतिज मामलों से निपटने के दौरान इसी सिद्धांत को अपनाया है।

जबकि इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। सुविधा के लिए इन दोनों दृश्यों को क्रमशः "प्रथम दृश्य" और "द्वितीय दृश्य" के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण जो इलाहाबाद और मध्य के उच्च न्यायालयों के साथ था

प्रदेश अनिवार्य रूप से इस आधार पर आधारित है कि अनिल कुमार गुप्ता और अन्य 1313 में निर्णय के पैराग्राफ 18 में विस्तृत पहले दो चरणों के बाद और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बाद,

क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए उम्मीदवारों को समायोजित करना,

आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को केवल संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत उनकी अपनी श्रेणियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, न कि "खुली या सामान्य श्रेणी" के खिलाफ।

24. इस प्रकार, दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, दो चरणों में अलग-अलग सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिएः - .

प्रारंभिक चरण में जब "खुली या सामान्य श्रेणी"

( 1 )

सीटें भरी जानी हैं, योग्यता के आधार पर सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के दावे पर विचार किया जाना चाहिए और यदि ऐसी आरक्षित श्रेणियों के कोई भी उम्मीदवार, अपनी योग्यता के आधार पर, खुली या सामान्य श्रेणी की सीटों के खिलाफ चुने जाने के हकदार हैं, तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की इस तरह की नियुक्ति किसी भी तरह से ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा को प्रभावित नहीं करेगी।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण में श्रेणियाँ।

( II) हालांकि, जब यह स्तर पर समायोजन की बात आती है

क्षैतिज आरक्षण, भले ही ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार योग्यता के आधार पर, खुली या सामान्य सीटों के खिलाफ विचार किए जाने और समायोजित किए जाने के हकदार हों, उस स्तर पर किसी भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल तभी समायोजित किया जा सकता है जब आरक्षण के अपने ऊर्ध्वाधर कॉलम में उनके समायोजन की गुंजाइश हो।

इस तरह का अभ्यास निम्नलिखित अभिधारणाओं पर आधारित होगाः -

मुक्त सामान्य श्रेणी की सीटों के प्रारंभिक आवंटन के बाद

( ए)

पूर्ण हो जाने पर, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का अपनी योग्यता के आधार पर मुक्त सामान्य श्रेणी की सीटों में प्रवेश पाने का दावा या अधिकार समाप्त हो जाता है और उन पर केवल उनके संबंधित कॉलम के खिलाफ विचार किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण।

( बी)

यदि क्षैतिज के कारण कोई परिणामी समायोजन होता है मुक्त सामान्य श्रेणी में आरक्षण, केवल उन उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए जो किसी भी श्रेणी में नहीं हैं जिनके लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया गया है।

( ग) दूसरे शब्दों में, क्षैतिज आरक्षण के स्तर पर, मुक्त सामान्य श्रेणी को उन उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए, जो किसी भी श्रेणी से आते हैं, जिनके लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया जाता है।

25. दूसरा दृष्टिकोण ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है, जब खुली या सामान्य श्रेणी की सीटों में क्षैतिज आरक्षण के लिए समायोजन करते समय,

कम मेधावी उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। मान लीजिए, क्षैतिज आरक्षण का समायोजन करते समय ओपन जनरल महिला श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवारों के पास यूआरएवी यादव और ओआरएस था।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]आवेदकों की तुलना में कम अंक। आवेदकों के दावे को इस आधार पर माना गया कि वे केवल और केवल तभी दावा कर सकते हैं जब

उनके लिए एक रिक्ति या अवसर था कि उन्हें उनके स्थान पर समायोजित किया जाए

ऊर्ध्वाधर आरक्षण का ctive कॉलम।

26. दोनों विचारों की तुलना की जा सकती है और इसमें शामिल मुद्दे

नैटर को निम्नलिखित धारणाओं के एक काल्पनिक चित्रण के प्रकाश में माना जा सकता है: -

कुल उपलब्ध सीटें 100 हैं जिसमें 50 सीटें हैं।

( (i)

'खुली/सामान्य श्रेणी' के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है -

20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत क्रमशः और सभी उम्मीदवारों से

ये आरक्षित श्रेणियां अन्यथा पात्र हैं

ओपन जनरल श्रेणी के खिलाफ माना जाता है।

( (ख)

'महिलाओं' के लिए उपलब्ध सीटों का प्रतिशत

कम्पार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल आरक्षण 30 प्रतिशत है।

सभी योग्य उम्मीदवारों में से, जब पहले 50 मेधावी हों

( iii)

'मुक्त/सामान्य श्रेणी' के लिए सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों को चुना जाता है:

( क) 'ओपन/ओपन' में पहले 50 उम्मीदवारों में केवल 11 महिलाएं हैं।

सामान्य श्रेणी 'और

( ख) 'मुक्त/सामान्य श्रेणी' में अंतिम पाँच व्यक्ति। , सीरियल Nos.46,47,48,49 और 50 पर उम्मीदवार

हैं।

एस. एल. नंबर 46-ओपन श्रेणी-पुरुष

एस. एल. नंबर 47-ओपन श्रेणी-पुरुष

एस. एल. संख्या 48-अनुसूचित जाति-पुरुष

एस. एल. सं. 49-अनुसूचित जाति-पुरुष

एस. एल. सं. 50-अनुसूचित जाति-महिला (ग) प्रतीक्षा सूची में पहली चार महिला उम्मीदवार, जो किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, क्रम संख्या में समग्र योग्यता स्थिति में हैं। 52 , 64 , 87 और 88. ( घ) अनुच्छेद 18 में बताए गए चरणों के अनुसार

अनिल कुमार गुप्ता और अन्य में निर्णय

अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए सीटों को भरने के चरण में, 20 उम्मीदवारों में से 7 महिलाएँ हैं और अंतिम 2 उम्मीदवार महिलाएँ हैं जिनकी योग्यता सूची में समग्र रैंकिंग क्रम संख्या में है। 80 और 86.

( ई) इसी तरह, अनुसूचित जनजातियों और अन्य के लिए सीटें

पिछड़े वर्गों को भरा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( च) अन्य पिछड़े क्षेत्रों में चयनित 20 उम्मीदवारों में से

इस श्रेणी में 09 महिलाएँ हैं।

इस चित्रण की बुनियादी विशेषताओं को निम्नलिखित में रखा जा सकता है:

एआर प्रारूप।

कुल सीटें: 100

श्रेणियाँ

खुला /

अनुसूचत अनुसूचियाँ

अन्य

ट्राइब्स

सामान्य

कैस्टेस

बैकवर्ड

वर्ग

सीटें

10

20

5

20

उपलब्ध

0

न्यूनतम

1

सभी 3

6

6

5

बैठने के लिए

महिलाएँ

सीटें

1

7

सभी 3

9

द्वारा असंपादित

1

महिलाएँ इससे पहले

आवेदन

ओ.

अंतर्निर्मित

संरक्षण

एनआई

एनआईए

ल

एनआई

अल्पकालिक, अगर

4

एल.

कोई भी

एल.

27. ओपन जनरल श्रेणी में पहली 50 सीटें आवंटित करना

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण। अगर महिलाओं के लिए आरक्षण "समग्र क्षैतिज आरक्षण" होने के लिए, 30 महिलाएँ हैं

07 + 03 + 09 ) और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, अगर महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लिया जाना है

", जैसा कि हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं और

उदाहरण के लिए, उपयुक्त चरणों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

( ए) चूंकि महिलाओं की कमी ओपन/में चार सीटों की है।

सामान्य श्रेणी को विस्थापित करना होगा। उम्मीदवार ने सीरियल नंबर 50 में, एक महिला होने के नाते, विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

( बी) सीरियल Nos.46 और 47 में पुरुष उम्मीदवार

इस तरह के विस्थापन के बाद खुली/सामान्य श्रेणी होगी पूरी तरह से हिसाब से बाहर क्योंकि वे किसी के पास नहीं जा सकते हैं

आरक्षित श्रेणी।

सीरियल Nos.48 और 49 में उम्मीदवार अधिक हैं।

( सी)

मूल रूप से रखे गए उम्मीदवारों की तुलना में मेधावी

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का ऊर्ध्वाधर स्तंभ, आवश्यक अपने ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर वापस जाएँ। यह परिणाम देगा

के उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में दो उम्मीदवारों का विस्थापन आरक्षण। 20 वां उम्मीदवार, जिसकी समग्र योग्यता स्थिति

सीरियल No.86 में है, हालांकि एक महिला है, लेकिन SAURAV YADAV & ORS से अधिक है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

इस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कोटा और 19 वें उम्मीदवार के तुरंत ऊपर एक पुरुष उम्मीदवार विस्थापित हो जाएगा। 27.1 अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, तो सीरियल में महिला उम्मीदवार

दूसरी ओर, यदि हम पहले दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के दावे पर विचार किया जाना चाहिए, यदि वे अधिक मेधावी हैं, जिस स्थिति में सीरियल No.86 में उम्मीदवार को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। नतीजतन, सीरियल No.88 पर उम्मीदवार को देना होगा

रास्ता।

इस तरह के विभिन्न क्रमपरिवर्तन और संयोजन हो सकते हैं और एक दिए गए मामले में, आरक्षित श्रेणी से संबंधित महिला उम्मीदवार

आरक्षण के अपने-अपने ऊर्ध्वाधर स्तंभों के लिए प्रतीक्षा सूची में, खुली/सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची में महिला उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हो सकती है। तत्काल चित्रण उस स्थिति को उजागर करने के लिए दिया गया है जो संभवतः उभर सकती है यदि दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 28. दूसरा दृष्टिकोण, क्षैतिज आरक्षण के चरण में एक अलग सिद्धांत को अपनाने पर आधारित है, जिसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए एक तय सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, इस प्रकार ऐसी स्थितियों का कारण बन सकता है जहां -

कम मेधावी उम्मीदवार, जो किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अधिक मेधावी उम्मीदवार की वरीयता में चुना जा सकता है। इस विसंगति को, दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, अनिल कुमार गुप्ता और अन्य 1 3 और राजेश कुमार दरिया 1 4 में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों के कारण स्वीकार किया जाना चाहिए। द.

इन दो निर्णयों के निम्नलिखित वाक्यों पर दूसरे दृष्टिकोण के समर्थन में भरोसा किया जाता हैः

" लेकिन अगर यह इतना संतुष्ट नहीं है, तो विशेष की आवश्यक संख्या

उनके संबंधित सामाजिक आरक्षण के खिलाफ समायोजित किया गया संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर श्रेणियाँ

वहाँ से "। [ अनिल कुमार गुप्ता के अनुच्छेद 18 से 1 3]

" लेकिन उपरोक्त सिद्धांत ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) पर लागू होता है।

आरक्षण क्षैतिज (विशेष) पर लागू नहीं होगा।

आरक्षण "। [ राजेश कुमार दरिया के पैराग्राफ 9 से 1 4]

29. इन वाक्यों को एक आदेश के रूप में लिया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण के चरण में उम्मीदवारों को ऐसी श्रेणियों से संबंधित संख्या में उम्मीदवारों को हटाकर उनकी संबंधित श्रेणियों के खिलाफ समायोजित/समायोजित किया जाना चाहिए और ऊर्ध्वाधर (सामाजिक आरक्षण) के लिए लागू सिद्धांत क्षैतिज (विशेष [2020] 11 एस. सी. आर. पर लागू नहीं होगा।

आरक्षण)। हमारे विचार में, इन वाक्यों को दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन करने वाली घोषणा के रूप में नहीं लिया जा सकता है और निश्चित रूप से संदर्भ से बाहर चुना जा रहा है।

अनिल कुमार गुप्ता में अनुच्छेद 18 में टिप्पणियाँ और

अन्य 1 3 ने ऐसी स्थिति पर विचार किया जहां "विशेष आरक्षण" हो।

क्षैतिज आरक्षण के हकदार उम्मीदवारों को "सामाजिक आरक्षण" के लिए एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में समायोजित किया जाना चाहिए, ऐसे "सामाजिक आरक्षण श्रेणी" से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटा दिया जाना चाहिए। इसने यह नहीं माना कि "विशेष या क्षैतिज आरक्षण" बनाने के चरण में किसी भी "सामाजिक आरक्षण श्रेणियों" से संबंधित उम्मीदवार को खुली/सामान्य श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि यदि क्षैतिज आरक्षण स्तर पर आवास के लिए विचार केवल संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण या सामाजिक आरक्षण श्रेणी के संबंध में है, तो केवल उस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की किसी भी श्रेणी के संबंध में क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाना है, तो केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है जो केवल उस विवरण का उत्तर दे रहे हैं। आरक्षण। लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि यदि क्षैतिज आरक्षण के स्तर पर, खुली/सामान्य सीटों के खिलाफ आवास पर विचार किया जाना है, तो किसी भी आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवार जो अधिक मेधावी हैं, उन्हें एक साथ होना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण के समर्थन में जिन टिप्पणियों पर भरोसा करने की कोशिश की गई थी, उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था।

इसी तरह, राजेश कुमार दरिया 1 4 में अवलोकन ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर के बीच एक विशिष्ट विशेषता पर जोर देने के संदर्भ में थे। क्षैतिज आरक्षण; उस में: ( क) ऊर्ध्वाधर आरक्षण के चरण में, मुक्त/सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को संबंधित आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटों को भरते समय नहीं गिना जाता है।

( ख) लेकिन संबंधित चयनित उम्मीदवारों की गिनती नहीं करने का वही सिद्धांत क्षैतिज आरक्षण के लिए लागू नहीं होना है।

क्षैतिज आरक्षण के स्तर पर सिद्धांत (ए) को अपनाते हुए, राजेश कुमार दरिया 1 में उत्तरदाताओं ने

विशेष या क्षैतिज आरक्षण के हिस्से के रूप में सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए अलग से 11 सीटें आवंटित की गईं, हालांकि 11 महिला उम्मीदवारों का एक और समूह सामान्य श्रेणी कोटे में अपनी योग्यता के अनुसार चुना गया था। महिलाओं के लिए 11 सीटों का कोटा पहले ही संतुष्ट हो चुका है, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण करते समय उनकी संख्या की अवहेलना की जानी चाहिए। यह उस संदर्भ में था कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच के अंतर को इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैराग्राफ 9 में उजागर किया गया था।

द सौरव यादव एंड ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

बाद के वाक्य "इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना जाएगा" उसी पैराग्राफ में और उसके बाद दिया गया चित्रण इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है।

30. लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम ममता बिष्ट में इस न्यायालय के फैसले को भी पूरी तरह से गलत समझा गया था।

उस मामले में नीतू जोशी ने अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में एक सीट हासिल की थी और उन्होंने क्षैतिज श्रेणी का भी जवाब दिया था।

"उत्तरांचल महिला" के लिए आरक्षित आरक्षण। आंशिक रूप से प्रयास

मूल रिट याचिकाकर्ता ममता बिष्ट को यह प्रस्तुत करना था कि नीतू जोशी को सामान्य श्रेणी में अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए "उत्तरांचल महिला" श्रेणी के लिए निर्धारित सीट को अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना था। संक्षेप में, जो प्रस्तुत किया गया था वह वही रुख था जो राजेश कुमार दरिया में उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया था, जिसे उस मामले में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। यही कारण है कि लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम ममता बिष्ट 1 में निर्णय का पैरा 15 स्पष्ट रूप से

एक निष्कर्ष वापस किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ममता बिष्ट के दावे को स्वीकार करना राजेश कुमार दरिया 1 4 में निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं था और अपील को स्वीकार कर लिया गया। यह

इस प्रकार निर्णय दूसरे दृष्टिकोण के समर्थन में किसी भी सहायता या सहायता का नहीं है।

31. इस प्रकार दूसरा दृष्टिकोण न तो इस न्यायालय द्वारा किसी आधिकारिक निर्णय पर आधारित है और न ही यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी अनुमेय आरक्षण यानी सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) या विशेष (क्षैतिज) के अधीन, सार्वजनिक रोजगार के अवसर और उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित होना चाहिए। कोई भी चयन जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों की तुलना में कम योग्यता के साथ मुक्त/सामान्य श्रेणी के लिए चुने जाते हैं, निश्चित रूप से समानता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। जब आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों या कोटे के खिलाफ उम्मीदवारों पर विचार करने की बात आती है तो विशेष व्यवस्था हो सकती है और सिद्धांत रूप में यह संभव है कि मुक्त/सामान्य श्रेणी से आने वाले अधिक मेधावी उम्मीदवार का चयन न हो। लेकिन इसके विपरीत कभी भी सच नहीं हो सकता है और यह उन बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ होगा जिन्हें इस न्यायालय ने हमेशा स्वीकार किया है। व्याख्या के किसी भी दृष्टिकोण या प्रक्रिया को अस्वीकार किया जाना चाहिए जो पहले बताए गए विसंगति का कारण बने। 32. इस प्रकार दूसरा दृष्टिकोण न केवल तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाएगा, जहां अधिक मेधावी उम्मीदवारों को संभवतः ऊपर बताए गए अनुसार दरकिनार कर दिया जा सकता है, बल्कि आवश्यक रूप से, इस धारणा को स्वीकार करने में परिणाम देगा कि आने वाले उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए खुली/सामान्य सीटें आरक्षित हैं।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों से। इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय के फैसलों की लंबी कतार का पूरी तरह से विरोध करेगा।

0 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. इसलिए हम दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं और इसे अस्वीकार करते हैं। पहला दृष्टिकोण जो राजस्थान, बॉम्बे के उच्च न्यायालयों के साथ था,

उत्तराखंड और गुजरात सही और तर्कसंगत हैं। 34. यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, जैसा कि दिनांकित आदेश में दर्ज की गई हैं। 16.03.2016 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष (ऊपर पैराग्राफ 9 में उद्धृत) बिल्कुल सही थे। एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य की ओर से लिए गए रुख को अस्वीकार करने में पूरी तरह से गलती की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की अस्वीकृति के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 22.02.2019 दिनांकित आदेश में निर्दिष्ट भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

( पैराग्राफ 11 में ऊपर उद्धृत) ने चरण 4,1 में कहा था कि जो उम्मीदवार अकेले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के खिलाफ माना जाएगा। उक्त प्रक्रिया और विशेष रूप से चरण 4 गलत था लेकिन शायद उच्च न्यायालय द्वारा पहले जारी घोषणा द्वारा निर्देशित किया गया था। दूसरी ओर, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता द्वारा लिया गया रुख, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा चारुशिला बनाम महाराष्ट्र राज्य 25 में दर्ज किया गया था, सही था।

35. हमें इस स्तर पर यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह विवादित नहीं है कि आवेदक नं। 1 और अन्य समान रूप से स्थित उम्मीदवार अन्यथा हकदार हैं

और 'मुक्त/सामान्य श्रेणी' में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं और उन्होंने कोई विशेष लाभ नहीं लिया है या उसका लाभ नहीं उठाया है जिससे वे अयोग्य हो सकते हैं।

उन्हें 'मुक्त/सामान्य श्रेणी' सीट के खिलाफ माना जा रहा है। इसलिए, वर्तमान मामले में पूरी चर्चा और विश्लेषण उक्त दृष्टिकोण से है।

36. अंत में, हमें यह कहना होगा कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई में अपने फैसले के पैरा 56 में बताए गए कदम

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षणों पर विचार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सही और उपयुक्त प्रक्रिया पर विचार करें। हमारे द्वारा दिया गया चित्रण केवल एक संभावित आयाम से संबंधित है। ऐसी कई संभावनाएं हो सकती हैं। यहां तक कि वर्तमान चित्रण के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊर्ध्वाधर कॉलम में आवंटित पहली महिला उम्मीदवार

सीरियल No.64 में उम्मीदवार की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त किया है। उस घटना में कहा गया था कि उम्मीदवार को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से खुली/सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति के ऊर्ध्वाधर कॉलम में रिक्तता हो। इस तरह की रिक्ति को अनुसूचित जनजाति-महिला की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कदम ऐसी हर संभावना का ध्यान रखेंगे। यह सच है कि एक प्रक्रिया निर्धारित करने का अभ्यास अनिवार्य रूप से संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन हम

देख सकते हैं कि उक्त निर्णय में निर्धारित एक निश्चित रूप से सभी दावों को पूरा करेगा और किसी भी विसंगति का कारण नहीं बनेगा जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में उजागर किया था।

सौरभ यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ उदय उमेश ललित, जे।]

37. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अपीलार्थी संख्या 1 और इसी तरह से स्थित उम्मीदवारों ने पिछले की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे

'मुक्त/सामान्य श्रेणी' में चुने गए उम्मीदवारों का तार्किक परिणाम यह होना चाहिए कि उक्त चयन को रद्द कर दिया जाए और अधिकारियों को हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आलोक में अभ्यास डी नोवो करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि उन चयनित उम्मीदवारों ने वास्तव में प्रशिक्षण लिया है

और वर्तमान में रोजगार में हैं और पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं, हम राहत को ढालते हैं और निम्नानुसार निर्देश देते हैं:

क) 'ओ. बी. सी. महिला श्रेणी' से आने वाले सभी उम्मीदवार जिन्होंने 274.8928 से अधिक अंक प्राप्त किए थे, यानी 'सामान्य श्रेणी-महिला' में नियुक्त अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में रोजगार की पेशकश की जानी चाहिए। ख) इस संबंध में उपयुक्त पत्र संबंधित को भेजे जाएंगे।

उम्मीदवार चार सप्ताह के भीतर।

ग) यदि संबंधित उम्मीदवार अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं और रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो संबंधित उम्मीदवारों द्वारा दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में संचार भेजा जाएगा। घ) ऐसी स्वीकृति की प्राप्ति पर, कोडल और अन्य औपचारिकताएं

इसे तीन सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

ङ) इसके बाद एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और संबंधित उम्मीदवारों को उचित जानकारी दी जाएगी।

पोस्टिंग।

च) वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और अन्य मुद्दों सहित सभी उद्देश्यों के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के रोजगार की गणना नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से की जाएगी।

छ) राज्य सरकार द्वारा ऊपर पैराग्राफ 5 और 8 में निर्दिष्ट अपने हलफनामों में बताए गए अनुसार सामान्य श्रेणी की महिलाओं की नौकरी केवल इस फैसले के कारण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। 38. चूंकि यह स्वीकार किया गया है कि 'अनुसूचित जाति महिला श्रेणी' से आने वाले किसी भी उम्मीदवार ने 274.8298 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे,

आवेदक सं। 2 और सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

39. 2019 के विविध आवेदन संख्या 2641 और 2019 के आई. ए. No.25611 को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है।

2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 237

40. अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका 14 महिला उम्मीदवारों द्वारा एक ही चयन से संबंधित दायर की गई है जिसमें निम्नलिखित प्राचार्य के लिए प्रार्थना की गई है।

राहत मिलती हैः

" ए. की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

उत्तरदाताओं को अवशोषित करने/चुनने के लिए निर्देश देना

375 खाली रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता। "11 एस. सी. आर.

41. इनमें से किसी भी याचिकाकर्ता ने 274.8298 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे और इस तरह, उनके मामले को आवेदक संख्या के बराबर नहीं माना जा सकता है। 1 - सुश्री सोनम तोमर और इसी तरह के अन्य लोग

उम्मीदवार जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है। 42. यदि रिक्तियां खाली हैं, तो यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे विशुद्ध रूप से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कार्य करें। न ही कोई मामला आदेश जारी करने के लिए, जैसा कि अनुरोध किया गया है, न ही हम संबंधित अधिकारियों को खाली रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को अवशोषित करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश पारित करना उचित समझते हैं।

43. इसलिए यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के है और

बर्खास्त कर दिया।

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. मैं न्यायमूर्ति ललित के फैसले और निष्कर्षों से सहमत हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। मेरा यह भी मानना है कि

राजस्थान उच्च न्यायालय (मेघा शेट्टी बनाम राजस्थान राज्य ', नीलम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य 2); गुजरात उच्च न्यायालय (तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई बनाम शीतल अमृतलाल निशार 3 में), बॉम्बे उच्च न्यायालय (आशा रामनाथ घोलप बनाम अध्यक्ष, जिला चयन आयोग/कलेक्टर, 4 कंचन विश्वनाथ जगतप और अन्र बनाम महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य, 5 तेजस्विनी रघुनाथ गोलांडे बनाम अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग मुंबई और अन्य, चारुशिला बनाम महाराष्ट्र राज्य, 7 शांताबाई लक्ष्मण डोइफोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र) और उत्तराखंड उच्च न्यायालय (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम रंजीता राणा में)- कहा जाता है

ललित में "प्रथम दृष्टिकोण" के रूप में, जे का निर्णय सही है, और इसका समर्थन किया जाना चाहिए, और यह कि इलाहाबाद और मध्य द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण

प्रदेश (अजय कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.¹0 और मध्य प्रदेश राज्य और अन्र। वी. उदय सिसोद और ओआरएस "। ) - न्यायमूर्ति ललित ने महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति और उन्हें भरने के लिए (उन निर्णयों द्वारा) वर्णित तंत्र के बारे में "दूसरा दृष्टिकोण" के रूप में कहा,

1 2013 (4) आरएलडब्ल्यू

22015 एससीसी (ऑनलाइन) राज 139 3 आर/एलपीए संख्या। 1910 आर/स्पेशल सिविल में। ऐप नं. 18968/2018 5.8.2020 42016 एससीसी ऑनलाइन बम 1623 पर तय किया गया

5 2016 माहा। एलजे 934 6 2019 माहा। एलजे 527

7 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1519

8 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1639

9 9 2019 एससीसी ऑनलाइन उत्तर. 481

1 0 (2019) 5 ALJ 466। 1 1 11 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 5750 सौरव यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ एस. रवींद्र भाट, जे.]

वे इस न्यायालय के पिछले निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं। हालाँकि, मैं अपने स्वयं के कुछ कारण जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ और न्यायमूर्ति ललित द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के किसी भी तरह से विरोधी नहीं हूँ।

2. यह निर्णय क्रम में तीसरा है, और कांस्टेबल (सिविल) और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल (पी. ए. सी.) के पद के लिए भर्ती से संबंधित है। पहला 19.01.2016 पर दिया गया था। 1 2 यह उन उम्मीदवारों के परिणामों और बहिष्कार से संबंधित था जिन्होंने चयन परीक्षा का प्रयास करते समय श्वेतक और ब्लेड का उपयोग किया था। इस अदालत ने उस फैसले में कहा था कि ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता था। दूसरा फैसला, दिनांक 27.11.2018[1]3 इस अदालत ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

" इसलिए, किसी भी मामले में वर्ष 2011 से संबंधित चयन में चुने जा सकने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 4010 + 1022 से कम नहीं होनी चाहिए। 1022 उम्मीदवारों के समूह बनाने वाले उम्मीदवारों की स्थिति और पहचान बहुत स्पष्ट है। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिसूचित रिक्तियां केवल अनुमानित हैं और संख्या में कुछ भी गलत नहीं है। सेवा की आवश्यकताओं में वृद्धि।

29. अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि दो मामलों में रिक्त पदों के संबंध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सारणीबद्ध चार्ट में तब कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों आदि के आश्रितों की श्रेणी में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 226 पद खाली रहे और 607 पद उन उम्मीदवारों के परिणामस्वरूप खाली पड़े हैं जिन्होंने प्रशिक्षण बंद कर दिया या नहीं किया।

चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन में योग्यता।

सैद्धांतिक रूप से 226 अधूरे पदों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

आगे के चयन के लिए क्योंकि उन पदों के लिए निर्धारित किया गया था

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।

3. मुकदमेबाजी के वर्तमान दौर में जो विवाद उत्पन्न होता है, वह महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा को भरने का सही तरीका है

( " क्षैतिज कोटा ")। यह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित आवेदकों, जो ज्यादातर महिलाएँ हैं, की शिकायत है कि राज्य ने आरक्षण के नियम को सही ढंग से लागू नहीं किया है, और ऐसी ओ. बी. सी. महिला उम्मीदवारों को "प्रवास", यानी सामान्य श्रेणी की रिक्तियों में समायोजन के लाभ से वंचित कर दिया है।

4. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से आरक्षण)

विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रित) अधिनियम, 1993 (इसके बाद "1993 अधिनियम") विकलांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित

1 2 हनुमंत दत्त शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 (16) एस. सी. सी. 447 1 3 सी. ए. No.11370/2018 (आलोक के. सिंह और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य)

0 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम, 1994 व्यापक कानून है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सामाजिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। श्रेणियाँ (एससी/एसटी/ओ. बी. सी.)। 1993 के अधिनियम के प्रावधानों (विकलांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों ["डी. एफ. एफ". इसके बाद] के लिए) धारा 3 (3) द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

" ( 3 ) आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध चुने गए व्यक्ति

उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त में रखा जाएगा।

जिन श्रेणियों से वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक

व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है उसे रखा जाएगा

उस कोटे में आवश्यक समायोजन करके; यदि वह संबंधित है

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, उसे उस कोटे में रखा जाएगा

आवश्यक समायोजन करके; यदि वह अन्य से संबंधित है नागरिकों के पिछड़े वर्ग, श्रेणी में, उन्हें रखा जाएगा

आवश्यक समायोजन करके वह कोटा। उसी तरह। अगर वह वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है, उसे रखा जाएगा

उस श्रेणी में आवश्यक समायोजन करके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1993 के अधिनियम के तहत आरक्षण थे

" क्षैतिज "प्रकृति में।

5. महिलाओं के साथ-साथ आश्रितों के लिए प्रदान किया गया कोटा

वर्तमान मामले में स्वतंत्रता सेनानियों (डी. एफ. एफ.) और पूर्व सैनिकों को 'क्षैतिज' के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि सामाजिक समूहों (एस. सी., एस. टी. एस., ओ. बी. सी.) के लिए आरक्षण को 'ऊर्ध्वाधर' के रूप में चिह्नित किया गया है। इस विभेदक शब्दावली का आविष्कार इस तथ्य से रेखांकित होता है कि बाद वाले को अनुच्छेद 16 (4) में स्पष्ट रूप से मंजूरी दी गई है, जबकि पहले वाले को अनुमेय वर्गीकरण (अनुच्छेद 14,16 (1)) की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है, हालांकि इस तरह के क्षैतिज आरक्षण अनुच्छेद 15 (3) 1 4 में अतिरिक्त रूप से पाए गए हैं।

6. उत्तर प्रदेश राज्य में कोई कानून या नियम (परंतुक के तहत बनाया गया) नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 309) जो महिलाओं के लिए आरक्षण को अनिवार्य करता है। हालाँकि, 26.2.1999 पर सभी पदों पर लागू एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार (यूपी)

द्वारा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए जारी सरकारी आदेश (जीओ), दिनांक 26.02.1999, नीचे निकाला गया है। 15

" संख्या-14/1/9/का-2/4

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ,

दिनांक 26 फरवरी 1999

से, श्री. सुधीर कुमार, सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार।

राज्य के तहत अनुच्छेद 15 (3) का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 15 (3) के तहत प्रदत्त इस शक्ति को अनुच्छेद 16 द्वारा किसी भी तरह से कम नहीं किया गया है।) ” 15 सुनैना त्रिपाठी बनाम से निकाला गया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , ( 2012 ) 3 एडीजे 463।

उराव यादव और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ एस. रवींद्र भाट, जे.]

को,

1 - सभी प्रधान सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

2- विभाग के सभी प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, उत्तर प्रदेश। 3 - सभी संभागीय/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

विषयः राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षण।

साहब,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सरकार ने राज्य की सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है, जो निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन हैः

1. आरक्षण राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर लागू होगा। वहाँ

पदोन्नति के पद नहीं होंगे।

2. आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा अर्थात उस श्रेणी के लिए जिसके लिए महिला का चयन लोक सेवाओं में महिलाओं के पदों के लिए उपरोक्त आरक्षण नीति के तहत किया गया है और इसके तहत सीधी भर्ती के लिए पदों पर राज्य सरकार को केवल उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा।

3. यदि किसी महिला का चयन किसी राज्य लोक सेवा और पद में योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो उसका चयन राज्य सरकार के खिलाफ होगा।

उस श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति।

4. यदि लोक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पद और राज्य सरकार के तहत सीधी भर्ती के लिए पदों पर एक उपयुक्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा पद एक उपयुक्त पुरुष उम्मीदवार के बीच से भरा जाएगा और ऐसे पद को भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

5. राज्य के तहत सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के लिए आवश्यक योग्यता, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित पूर्व-मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार बनी रहेगी और इस नियम के कारण पद में कोई बदलाव नहीं होगा।

6. सार्वजनिक सेवाएँ और पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण में परिभाषित सार्वजनिक सेवाओं और पदों को संदर्भित करते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए अधिनियम

पिछड़े वर्ग। कृपया सरकार के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि सरकार के अधीनस्थ सभी अधिकारियों को इस आदेश के बारे में सूचित किया जाए।

0 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपका। सुधीर कुमार

सचिव "

7. जैसा कि उपरोक्त सरकार के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट है

आदेश, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के उपचार के संबंध में एकमात्र शर्त यह है कि यदि एक महिला उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो उसे उस उपयुक्त सामाजिक श्रेणी (एससी/एसटी/ओ. बी. सी./ओ. सी.) के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जिससे वह संबंधित है। हालांकि, ऐसा कोई नियम या निर्देश नहीं है जो सामान्य श्रेणी या "खुली श्रेणी" में महिलाओं की सामाजिक रूप से आरक्षित श्रेणियों के समायोजन को प्रतिबंधित करता हो। इसका पहला संकेत इंदिरा साहनी 1 में है जहाँ बी. पी. जीवन रेड्डी, जे ने इस प्रकार कहा हैः

" क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करते हैं।

जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए,

-

मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं -

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति; यह एक आरक्षण होगा।

अनुच्छेद 16 (1) के खंड (1) से संबंधित। इस कोटे के खिलाफ चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा।

यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे उस कोटे में रखा जाएगा। आवश्यक समायोजन करके; इसी तरह, यदि वह संबंधित है

खुली प्रतियोगिता (ओ. सी.) श्रेणी में उसे रखा जाएगा। आवश्यक समायोजन करके श्रेणी। इसके बाद भी

इन क्षैतिज आरक्षणों के लिए, प्रतिशत

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण बना हुआ है

इस प्रक्रिया को जारी रखें। "

8. इस नियम की पुष्टि की गई और इसे अनिल कुमार गुप्ता बनाम में लागू किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य 1 7, स्वाति गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 8 और जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 9 और राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग 20। क्षैतिज आरक्षण श्रेणी और

ऊर्ध्वाधर, सामाजिक श्रेणियों को भरने के तरीके को राजेश कुमार दरिया (ऊपर) में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया हैः

" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सामाजिक आरक्षण

अनुच्छेद 16 (4) 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' हैं। विशेष आरक्षण

शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में,

अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) क्षैतिज आरक्षण हैं। कहाँ ए।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण पिछड़े वर्ग के पक्ष में किया जाता है

18 1995 ( 2 ) एससीसी 560 1 9 19 2010 (3) एससीसी 119

20 2007 ( 8 ) एस. सी. सी. 785 यू. आर. ए. वी. यादव और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ एस. रवींद्र भाट, जे.]

अनुच्छेद 16 (4) के तहत ऐसे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है। खुला प्रतियोगिता श्रेणी के तहत चयनित लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार रहेगा और उपलब्ध होगा। [ इंदिरा साहनी, आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान और रितेश आर. शाह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल। लेकिन उपरोक्त सिद्धांत ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) पर लागू होता है।

क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर आरक्षण लागू नहीं होगा। जहाँ महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण, उचित प्रक्रिया है कि पहले योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरा जाए और फिर उनमें से उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाया जाए जो 'अनुसूचित जाति-महिलाओं' के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को सूची के निचले भाग से हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या लेनी होगी। इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को इसके खिलाफ गिना जाएगा

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण '। 9. ऊर्ध्वाधर आरक्षण की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

( i) उन्हें खुली श्रेणी, या निर्दिष्ट उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की श्रेणियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है और उन्हें केवल संबंधित सामाजिक श्रेणी (एससी/एससी) के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना है।

एसटी/ओ. बी. सी);

( ii) आरक्षित (निर्दिष्ट श्रेणी) से अनारक्षित (खुली श्रेणी) स्लॉट में गतिशीलता ('माइग्रेशन') संभव है, जिसके आधार पर

सराहनीय प्रदर्शन;

( iii) आरक्षित से खुली श्रेणी में स्थानांतरण के मामले में, आरक्षित श्रेणी में रिक्ति को उसी निर्दिष्ट श्रेणी, रैंक में कम, [2020] 11 एस. सी. आर. से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए।

( iv) यदि उम्मीदवारों की कमी के कारण निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है, तो रिक्तियों को भरा जाना है।

'आगे' या नियमों द्वारा उचित रूप से निपटा गया।

10. दूसरी ओर क्षैतिज आरक्षण, अपने स्वभाव से, अनुल्लंघनीय पूल या पत्थर में नक्काशीदार नहीं हैं। वे अपने ओवरलैप पर आधारित होते हैं।

और 'इंटरलॉकिंग' आरक्षण हैं। एक अगली कड़ी के रूप में, उनकी गणना न्यायमूर्ति ललित के फैसले के पैराग्राफ 11 में स्पष्टता के साथ निर्धारित विभिन्न कदमों को लागू करके अनुल्लंघनीय 'ऊर्ध्वाधर' (या 'सामाजिक') आरक्षण कोटा के साथ समवर्ती रूप से की जानी है। इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण कोटा भरने के लिए लागू होने वाला पहला नियम समायोजन का है, अर्थात यह जांच करना कि क्या योग्यता के आधार पर किसी क्षैतिज श्रेणी को खुली श्रेणी में योग्यता सूची में समायोजित किया जाता है, और फिर, विशेष निर्दिष्ट/निर्दिष्ट श्रेणी के भीतर ऐसी क्षैतिज श्रेणी के लिए कोटा में।

सामाजिक आरक्षण। 11. खुली श्रेणी एक 'कोटा' नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसी तरह, जैसा कि राजेश कुमार दरिया 2 2 में कहा गया है,

पुरुषों के लिए कोई कोटा नहीं है। यदि हम दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं [जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजय कुमार बनाम में अभिनिर्धारित किया है। यू. पी. 23 राज्य और मध्य प्रदेश और अन्न राज्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। वी. उदय सिसोद और अन्य 2 4, न्यायमूर्ति ललित के फैसले के पैराग्राफ 20 में संदर्भित], परिणाम महिला उम्मीदवारों की संख्या को, उनके प्रदर्शन की परवाह किए बिना, उनकी सामाजिक आरक्षण श्रेणियों में सीमित कर देगा और इसलिए, तर्क और योग्यता के लिए विनाशकारी होगा। दूसरा दृष्टिकोण, इसलिए-शायद अनजाने में समर्थन करता है-लेकिन निश्चित रूप से परिणाम देता है

चयन सूची में महिलाओं की संख्या को नियम द्वारा सुनिश्चित समग्र संख्यात्मक कोटे तक सीमित करना।

12. मेरी राय में, दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, जब

निर्धारित प्रतिशत से अधिक 20 प्रतिशत (मान लीजिए, 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत) महिला उम्मीदवार सबसे मेधावी श्रेणी में आती हैं। कहा गया दूसरा

अजय कुमार 25 और उदय सिसोद 2 6 में देखा गया दृष्टिकोण इस प्रकार योग्यता को दंडित करता है। गतिशीलता या प्रवास का सिद्धांत, जिसे इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम में बरकरार रखा। रमेश राम 2 7 और अन्य मामलों में तब भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग होगा, क्योंकि यह विशेष श्रेणी के पुरुषों की गतिशीलता के लिए लागू होगा, लेकिन 21 इंदिरा साहनी (सुप्रा) 22 सुप्रा एन में बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति। 20

23 सुप्रा एन. 10 24 सुप्रा एन. 11

25 सुप्रा एन. 10 26 सुप्रा एन. 11

27 ( 2009 ) 6 एस. सी. सी. 619, पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ द्वारा, जिसने इंदिरा साहनी के फैसले पर ध्यान दिया, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

" 811. इस संबंध में यह याद रखना अच्छा है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के मैदान में चुने जाते हैं; उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा; उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा। सौरभ यादव और ओआरएस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसी विशेष श्रेणियों में महिलाओं के मामले में (जैसा कि इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है) उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो खुली/सामान्य श्रेणी में अपने समकक्षों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं।

13. अनिल कुमार गुप्ता बनाम यूपी 28, स्वाति में निर्णय

गुप्ता बनाम यूपी राज्य 9, और जितेंद्र कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य 30, ऐसे निर्णय थे जो यूपी राज्य से संबंधित भर्ती मामलों से उत्पन्न हुए थे। वास्तव में जितेंद्र कुमार सिंह 3 1 में, अदालत ने महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण की वैधता के सवाल के साथ-साथ 26.2.1999 के सरकारी आदेश पर भी विचार किया। उस श्रृंखला में नवीनतम निर्णय अनुपल सिंह बनाम में इस अदालत का निर्णय है। U.P32 की स्थिति जहां अदालत को इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न के समान प्रश्न पर विचार करना था, अर्थात क्या सामाजिक श्रेणी क्षैतिज उम्मीदवार क्षैतिज श्रेणी रिक्तियों को भर सकते हैं। अदालत ने तथ्यों को दर्ज किया और निम्नलिखित तरीके से पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया (पैरा 62):

" 62. निजी उत्तरदाताओं का तर्क है कि

वर्ग ऊर्ध्वाधर आरक्षण उम्मीदवारों/अन्य द्वारा भरा गया था श्रेणी के उम्मीदवार, जो वैधानिक का उल्लंघन करते हैं

चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाले प्रावधान। की ओर से

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, श्री श्रीश कुमार मिश्रा,

विद्वान वकील ने संख्या के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है

उपयुक्त पाए गए और संबंधित पदों पर रखे गए उम्मीदवारों की संख्या श्रेणियाँ। उक्त विवरण इस प्रकार हैं:

श्रेणी

की संख्या

चयनित की संख्या

उम्मीदवार

रिक्तियां

महिलाएँ

156

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित

132

45

भूतपूर्व सैनिक

ए

नआईएल

330

आंशिक रूप से अंधे

84

84

57

आंशिक रूप से बधिर

84

एक-भुजा

42

42

एक पैर

42

42

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, यह था

प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की नीतियों में से एक

क्षैतिज आरक्षण के संबंध में यह है कि, यदि उपयुक्त है

28 सुप्रा एन. 17

31 सुप्रा एन. 19 32 2020 ( 2 ) एससीसी 173 [2020] 11 एस. सी. आर.

क्षैतिज आरक्षण के ऐसे पदों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है; उन्हें अन्य उपयुक्त पदों द्वारा भरा जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों में से उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपूर्ण क्षैतिज आरक्षण रिक्तियों को इस प्रकार भरा गया था

संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा

उनकी योग्यता के अनुसार जो नीति के अनुसार है

सरकार। उच्च न्यायालय गलती खोजने में सही नहीं था

क्षैतिज के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के साथ

आरक्षण "।

इसके बाद अदालत ने निम्नलिखित शब्दों में अपने निष्कर्ष दर्ज किए:

" 84.6 . संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण से उम्मीदवारों द्वारा अधूरे क्षैतिज आरक्षण को भरना सरकार की नीति और उसी के अनुसार है।

गलती नहीं की जा सकती।

सामाजिक श्रेणी आरक्षण का लाभ, खुली श्रेणी को नहीं भर सकते रिक्तियां। उक्त दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत धारणा के रूप में उजागर किया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कम योग्यता (खुली श्रेणी में) वाली ऐसी महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और ऐसे चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों (सामाजिक/ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी में) को चयन से बाहर रखा जाएगा।

15. मैं यह कहकर समापन करूँगा कि आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। इन्हें कठोर "स्थान" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाए जाने का हकदार बनाती है, को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि यदि राज्य का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा करने से, एक सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित है, इस प्रकार योग्यता को नकारता है। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और एक उम्मीदवार के लिए इसमें दिखाई जाने वाली एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो।

16. मैं इस बात से सहमत हूं कि इस अदालत के समक्ष लंबित सभी आवेदनों और डब्ल्यू. पी. 237/2020 का निपटारा संचालन संबंधी निर्देशों के संदर्भ में किया जाना है।

ललित, जे का निर्णय।

रिट याचिका खारिज कर दी गई और आवेदनों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान